अखिल भारतीय किसान सभा

दस्तावेज

अखिल भारतीय किसान काउंसिल की बैठक

12–14 जुलाई 2019

हैदराबाद, तेलंगाना

एआईकेएस पब्लिकेशन

36,पं0 रवि शंकर शुक्ला लेन (केनिंग लेन)

नई दिल्ली–110001

फोन–फैक्स 01123782890

एआईकेएस पब्लिकेशन
36,पं0 रवि शंकर शुक्ला लेन (केनिंग लेन)
नई दिल्ली–110001
फोन–फैक्स 01123782890

एआईकेएस पब्लिकेषन

अखिल भारतीय किसान सभा
अखिल भारतीय किसान काउंसिल की बैठक
12–14 जुलाई 2019
हैदराबाद, तेलंगाना

अजेंडा

1. शोक प्रस्ताव
2. अध्यक्षीय भाषण
3. महासचिव की रिपोर्ट
4. संगठन की समीक्षा रिपोर्ट
5. आगे की संगठन की कार्यों की रूपरेखा
6. प्रस्ताव
7. सदस्यता और संघर्ष फंड

'kksd çLrko

dkejsM exyJojh nsoh

अखिल भारतीय किसान कौंसिल का. मंगलेश्रवरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो त्रिपुरा राज्य में आदिवासी समुदाय से आ कर वामपंथी आंदोलन में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। कामरेड देवी पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा के प्रख्यात नेता, कामरेड दशरथ देब की पत्नी थीं। किसान सभा का. मंगलेश्रवरी देवी की याद में अपना लाल झंडा झुकाती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है।

dkejsM fu#ie lsu

अखिल भारतीय किसान कौंसिल माकपा के पूर्व पोलिस ब्यूरो सदस्य, का. निरुपम सेन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किसान सभा का. निरुपम सेन की याद में अपना लाल झंडा झुकाती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है।

dkejsM ekgj çlg

किसान सभा माकपा के पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य और माकपा की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति के पूर्व सचिव का. मोहर सिंह की को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनका जीवन मेहनतकश जनता और मजदूर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध था। अखिल भारतीय किसान कौंसिल शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती है।

dkejsM lqcks/k nkl

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, का. सुबोध दास, माकपा त्रिपुरा

राज्य समिति के पूर्व सदस्य और त्रिपुरा सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका 24 फरवरी, 2019 को निधन हो गया था, की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करती है और शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

d,ejM Voykdkikyh ujflEg;k

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, आंध्र प्रदेश के व्योवृद्ध कम्युनिस्ट नेता, कॉम ट्वलकापली नरसिम्हैया को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो मज़दूरों और किसानों के हितों के लिए जीवन भर लड़ते रहे हैं, जिनकी मृत्यु 18 जनवरी, 2019 को हुई थी। किसान सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

d,ejM u|kyk Jhfuokl jìh

अखिल भारतीय किसान कौंसिल कॉमरेड नंद्याला श्रीनिवास रेड्डी पूर्व विधायक, ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में हिस्सा लेने वाले एक अनुभवी साहसी कमांडर को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनकी 19 फरवरी, 2019 को मृत्यु हो गई थी। अखिल भारतीय किसान कौंसिल शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना प्रकट करती है।

d,ejM ,u osdV"kojy

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, का. एन वेंकटेषवरलू को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, पूर्व महासचिव, बिजली कर्मचारी संघ के व्योवृद्ध नेता और सीटू जनरल काउंसिल के सदस्य थे, जिन का 7 मई, 2019 को निधन हो गया। अखिल भारतीय किसान कौंसिल शोकाकुल परिवार हार्दिक संवेदना भेजता है।

dkejM ukeoj flg

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पूर्व अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देता है, जिनकी मृत्यु 29 फरवरी को 92 साल की उम्र में हो गई थी। अखिल भारतीय किसान कौंसिल शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भेजता है।

dkejM jef.kdk xIrk

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, जनवादी लेखक संघ की पूर्व सदस्य, कॉम रमणिका गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करता है। वह एकजुट बिहार की पूर्व विधायक रही थीं, जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों और मज़दूरों के बीच काम किया। वह सीटू और आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच से भी जुड़ी रही थीं। 26 मार्च, 2019 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एआईकेसी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

dkejM fxjèkkjh jke

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, का. गिरधारी राम के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। वो पूर्व विधायक, खेत मज़दूर यूनियन की बिहार इकाई के एक दिग्गज नेता और माकपा की बिहार राज्य समिति के सदस्य थे। उनका निधन 15 फरवरी, 2019 को हुआ था। एआईकेसी शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती है ।

d,ejM lkbeu fcVk

अखिल भारतीय किसान कौंसिल, एसएफआई के पूर्व उपाध्यक्ष और केरल के पूर्व विधायक का. साइमन ब्रिटो की याद में अपना सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनका 31 दिसंबर, 2018 को निधन हो गया था। वह जीवित रहने का प्रतीक, असीम प्रेरणा और साहस का स्रोत थे। 4 अक्टूबर 1981 को के एस यु के गुंडों द्वारा किए गए क्रूर हमले के कारण उनके शरीर के निचले हिस्से में लकवाग्रस्त होने के बावजूद उन्हों ने समाज के लिए विशेष रूप बच्चो के लिए सराहनीय काम किया। अखिल भारतीय किसान कौंसिल शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

'kghnks ij

अखिल भारतीय किसान कौंसिल उन सभी लोगों की शहादत को सलाम करता है, जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ग शत्रुओं के खिलाफ

लड़ाई लड़ी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल और भाजपा के गुंडों के खिलाफ, केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बदमाशों व त्रिपुरा में भाजपा–आई पी एफ टी के हत्यारों के खिलाफ और सांप्रदायिक, जातिवादियों व विभिन्न स्थानों पर अन्य विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ संघर्ष किया है ।

अखिल भारतीय किसान कौंसिल की यह बैठक यूपी, राजस्थान, झारखंड और कुछ अन्य राज्यों में हिंदुत्ववादी गुंडों व तथाकथित गौ–रक्षकों मुस्लिम और दलित समुदायों के लोगों की हत्याओं व प्रताड़ना पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करती है।अखिल भारतीय किसान कौंसिल प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परिवारों के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

अखिल भारतीय किसान कौंसिल सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसानों, मज़दूरों, छात्रों, बेरोजगारों और अन्य लोगों की बढ़ती आत्महत्याओं पर गहरा दुख व्यक्त करता है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। अखिल भारतीय किसान कौंसिल उन की मांगों के साथ खड़े होने व उनके निवारण के लिए लड़ने का संकल्प व्यक्त करती है।

v/;{kh; Hkk"k.k

Mk- v'kksd <oy

अध्यक्ष

अदरणीय साथी, एस आर पिल्लई, हन्नान मोल्ला, और प्रिय कामरेडों व दोस्तों, हिसार सम्मेलन के बाद हो रही इस दूसरी किसान कौंसिल की बैठक में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली विरूद्धनगर (तमिलनाडु) बैठक के एक वर्ष बाद मिल रहे हैं आज हम तेलंगाना के हैदराबाद षहर में मिल रहे हैं, जिसका किसान संघर्षों में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है जो कि आधुनिक भारत में लड़ा गया था–तेलंगाना के लोगों का आंदोलन जो की सामंतवाद के खिलाफ लड़ा गया, जो कि किसान सभा के लाल झंडे के नेतृत्व में लड़ा गया, यह भी सम्मान की बात है कि जिस स्थान में यह बैठक हो रही है, उसका नाम उस सघर्ष के महान नेता कामरेड पी. सुन्दरैया के नाम पर रखा गया है। मैं कामरेड पी. सुन्दैया और इस महान संघर्ष के नेताओं व हजारो शहीदों को अपनी श्रद्धाजंलि प्रस्तुत करता हूं। जिन पुरूषों महिलाओं ने कृषि क्रांति को हासिल करने में और नये भारत के निर्माण–जिसमें किसी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक उत्पीड़न न हो, के लिए अपना खून बहाया था

हम ऐसे अभूतपूर्व समय में मिल रहे हैं जब भाजपा नेतृत्व वाला राष्ट्रीय गठबंधन लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आया है। लेकिन इस पर चर्चा से पहले हम आज मोजूद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर एक सरसरी नज़र डालेगे।

vUrjk"Vªh; pqukSfr;k

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के 4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं–राष्ट्रपति ट्रम्प की वजह से अमरीका की आक्रमता, अपनी व्यवस्थित आर्थिक समस्याओं पर विजय पाने में पूंजीवादी दुनिया की असमर्थता, इन लक्षणों के परिणाम स्वरूप तमाम देषों के दक्षिणपंथ की और बढ़ता हुआ झुकाव और नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ बढ़ता हुए मज़दूरों–किसानों का प्रतिरोध।

vejhdh vkØedrk % ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला और फिलिस्तीन को धमकाने और विश्व व्यापार युद्धों को शुरू करने के स्पष्ट रूप में अमरीकी आक्रामकता दिखाई देती हैं। पिछले दो दशकों में अमरीकी साम्राज्यवाद ने अफगानिस्तान, ईराक, सीरिया और लीबिया के बहुत बड़े हिस्से को तबाह–बर्बाद कर डाला है और और अब यह नये चारागाहों की खोज कर रहा है ताकि इसकी सब कुछ हड़प कर/खा लेने की अंतहीन लालच का पेट भरा जा सके।

ईरान के साथ नाभिकीय समझौते पर अमरीका, बिट्रेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी ने दस्तखत किये थे, लेकिन इस समझौते को ट्रम्प द्वारा अवैध रूप से छोड़ दिया गया और ईरान पर झूठा आरोप लगाते हुए कि उसने इस समझौते के अनुसार अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया और तब ईरान के ऊपर एक पक्षीय आर्थिक प्रतिबंधों को थोप दिया। इस समझौते पर दस्तखत करने वाले दूसरे देशों पर भी दबाव बनाया गया कि वे इस समझौते से बाहर आ जायें। रूस और चीन ने इन प्रतिबंधों से बंधने या मानने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है जबकि यूरोपीय षक्तियों ने अमरीकी निदेर्षों को सीधे–सीधे इंकार किये बिना घुमा–फिराकर दूसरे रास्ते निकाल लिए है। इन उकसावेपूर्ण कार्यवाहियों के बाद अपुष्ट अफवाहों के तुच्छ बहाने के आधार बनाकर कि ईरान अमरीकी सैन्य टुकड़ी पर हमला करने की योजना बना रहा है और ट्रम्प ने मध्यपूर्व एशिया में एयर क्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और बमवर्षक विशेष कार्यबल को भेज दिया और धोखे से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया। इस सबके बावजूद ईरान ने बहुत बड़े संयम का परिचय देते हुए और यह भी घोषित किया कि अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए नाभिकीय

समझौते के कुछ पहलुओं को भी रोक रहा है, लेकिन इस समझौते से बाहर भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसके बाद भी, खाड़ी के मुहाने पर दो तेल टेंकरों पर ईरानी हमले का झूठा आरोप लगाया गया और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से ही तबाह–बर्बाद इस क्षेत्र में इन साजिषों के चलते शांति को खतरा पैदा हो रहा है और साम्राज्यवादी ताकतें अपने इलाकाई वर्चस्वता को बढ़ाने की फिराक में है।

क्यूबा सरकार और ट्रप्प के पूर्ववर्ती ओबामा ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने का प्रयास किया था और कुटनीतिक वार्ता को शुरू किया था, लेकिन अब ट्रंप ने उन लम्बे प्रयासों के सभी प्रावधानों को खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है ताकि क्यूबा को उकसाया जा सके। ट्रंप अब कुख्यात हेल्मस–बर्टन कानून को शोर मचाते हुए लागू कर रहा है लेकिन क्यूबा ने इसे हमेशा यह कहते हुए इंकार किया है कि यह केवल अमरीका के अंदर ही लागू होगा। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि क्रांति के बाद जिन अमरीकी संपत्तियों का राष्ट्रीकरण किया गया था उनके दावेदार का अच्छा खासा 'मुआवजा' दिलाया जा सके और इसके माध्यम से क्यूबा को एक बार फिर से औपनिवेशिक निर्भरता तक सीमित कर दिया जायें।

पिछले कई महीनों से, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को ट्रंप प्रशासन किसी भी तरह से सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सरकारी खर्चों को कम करने वाली नव–उदारवादी उपायों को थोपने का विरोध करके अपनी जनता की बेहतरी के लिए काम करने वाली कई वामपंथी लोकप्रिय सरकारों को सत्ता से हटाने में मिली सफलता के बाद अब अमरीका की निगाहें वेनेजुएला पर जम गई है और उसके अंदर इस देश की संप्रभुता के लिए जरा भी सम्मान नहीं है और इसको तहस–नहस करने के लिए अंदरूनी और बाहरी एजेंटों की मदद ली जा रही है। प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं ताकि वह अपनी इकलौती निर्यातक वस्तु तेल को भी न बेच सके। अमरीका वेनेजुएला की जनता को भूखों मार डालना चाहता है ताकि वो विद्रोह कर दें और इसके लिए वह भोजन और अन्य वस्तु वस्तुओं को देष की सीमा पार करके अंदर नहीं आने दे रहा है। झूठी और जहरीली खबरों के साथ उन्होंने माडुरों के खिलाफ

ज़हरीला मीडिया अभियान छेड़कर हमला बोल दिया है। इससे भी ज्यादा, वह सेना में विद्रोह भड़का देना चाहते हैं लेकिन सेना अभी भी मज़बूती के साथ माडुरों के साथ खड़ी है। यद्यपि उनकी कठपुतली जुआन गुड्डों ने स्वयं को वेनेजुएला का स्वयंभू राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इन सारे उकसावों के बावजूद यद्यपि आज की तारीख में देश का मज़दूर वर्ग बड़ी मज़बूती के साथ माडुरों के साथ खड़ा है लेकिन अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में उन्हें बहुत सी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। मई दिवस को सरकार समर्थक एक विशाल रैली ने यह संकेत दिया है कि कुछ समय के लिए ट्रंप और उसके अनुयायी गुर्गों को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। लेकिन माडुरों के लिए परिस्थिति विकट होती जा रही हैं क्योंकि रूस और चीन के अलावा बाकी दुनिया से उसे समर्थन नहीं मिला रहा है।

इज़राइल के पश्चिम तट पर कब्जों, फिलिस्तीनी इलाकों में आक्रमण और गाज़ा पट्टी की नाक़ाबंदी को ट्रंप पहले ही पूरा समर्थन दे चुका है। इसने गाज़ा क्षेत्र की बीस लाख आबादी के लिए वित्तीय और मानवीय संकट को पैदा कर दिया है। उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, पानी और बिजली की कमी के साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में दवाईयों व उपकरणों की गंभीर कमी से गुजरना पड़ रहा है। हाल ही की कई घटनाओं ने इज़राइल के अमानवीय दृष्टिकोण को उज़ागर कर दिया है। इसी इज़राइली सरकार को ट्रम्प ने जाकर बेशर्मीपूर्वक अपना समर्थन दिया है। इसीलिए मार्च में नेतन्याहू के साथ में खड़े होने की वजह से एक ऐसे दस्तावेज़ पर दस्तख़त किये हैं जो घोषित करता है कि गोलान पहाड़ियां अब इज़राइली क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि 1967 तक गोलन पहाड़ियां सीरिया देश का हिस्सा हुआ करती थी जिसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए इज़राइल ने अपने कब्जे में ले लिया था और यह एक ऐसा कदम था जिसकी संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने सख्त आलोचना की थी। रणनीतिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ट्रम्प के बयान के साथ इजराइल द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा निष्चित ही इस संवेदनशील क्षेत्र को अंशात बना दिया।

अप्रैल–मई में, गाज़ा में फिलिस्तीनियों की नाकाबंदी के समय जब विरोध कार्यवाहियों को आयोजित किया गया था जिसकी मांग थी पश्चिमी तट स्थित अपने घरों तक उनको वापस जाने दिया जायें, तब इज़रायली

सेना ने उनमें से कई को मार डाला था और घायल कर दिया था और खतरनाक हथियारों के साथ नागरिक आबादी के ऊपर 'भारी हमलों' को शुरू कर दिया गया था। इजराइल अभी भी फिलिस्तीन जमीन के पश्चिम तट पर अपनी घुसपैठ को जारी रखे हुए हैं। ढेर सारी निर्दोष खून से सने हुए अपने हाथों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के धिक्कार के बावजूद इज़राइल ने फिलिस्तीन के सामने अपनी आदमखोर नीतियों को जारी रखा है। क्योंकि अरब देश आपस में एकजुट नहीं है और क्योंकि ट्रम्प प्रशासन ने भी यह घोषणा जारी कर रखी है कि पष्चिमी तट के हिस्सों को अपने में विलय कर लेने का अधिकार हज़राइल को है। यद्यपि दसियों हजार फिलिस्तीनियों ने इज़राइली सेना का बहादुरी से धता बताते हुए 'मार्च ऑफ रिटर्न' की वर्षगांठ को मनाया था।

0;ofLFkr iathoknh ladV%

2008 में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ पूंजीवादी दुनिया व्यवस्थित आर्थिक संकट से अभी भी पीड़ित है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकारी खर्चों में कटौती के उपाय अब तक नियमित लक्षण बन गया है। कभी–कभी एक हल्की सुधार की गुंजाइश दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही यह गुंजाइश दिखाई देती है वैसे ही विश्व अर्थव्यवस्था एक और संकट में फंस जाती है। नव–उदारवाद ने आय असमानता और संपत्ति असमानता दोनों में बहुत तेज और स्पष्ट वृद्धि को जन्म दिया है। इस समस्या की जड़ में नव–उदारवादी नीतियों की असफलता से सारे यूरोप में शुरू हुई उथल–पुथल ही इसके लिए सटीक टिप्पणी है कि एक लम्बे समय से ब्रिटेन में जांची परखी और स्थायी संसदीय प्रणाली को भी गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। जब पिछले वर्ष 'ब्रेक्सिट' के मतदान के परिणाम आये। 'ब्रेक्ज़िट' कोई नस्लवाद या दक्षिणपंथी राजनीति नहीं है, लेकिन शोध में हानि और सरकार–प्रायोजित खर्च कम करने के कार्यक्रमों के आपसी सम्बंध को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया। जिसके चलते जनता ने मतदान में भाग लिया ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ के दूसरे तमाम हिस्सों के मज़दूर और पेशेवर लोग, जो ब्रिटेन प्रणाली का समर्थन किया करते थे, उन्हें अभी तक यह नहीं पता कि बेक्ज़िट उन पर किसी तरह हमला करने जा रहा है।

jk"Vªh; pqukfr ;k

xHkhj pukoh >Vdk

हमारे देश में प्रगतिशील, जनतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष ताकतों के लिए यह समयावधि बहुत चुनौतीपूर्ण समय साबित हुआ है। सत्रहवीं लोकसभा चुनाव के परिणामों ने एक जबदस्त झटका दिया है। भाजपा ने 2014 से 2019 में अपनी सीटों को 282 से बढ़कर 303 कर ली है और वोट 31 से बढ़ाकर 37.4 प्रतिशत कर लिया है। इसी समायावधि में राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन ने सीटों को 336 से 353 और वोट प्रतिशत को 37.3 से बढ़ाकर 43.9 प्रतिशत कर लिया है। कांग्रेस एवं ज्यादातर अन्य विपक्षी पाटियों को एक बड़े धक्के का सामना करना पड़ा है। वामपंथी शक्ति काफी घटकर संसद में मात्र 5 सदस्य रह गये हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जारी हमलों के साथ ही हमारी शक्ति में कमी/क्षरण होना हमारे लिये गंभीर चिन्ता का विषय है। केरल में भी हमें बड़े झटके का सामना करना पड़ा है।

भाजपा सरकार की जनविरोधी और नव–उदारवादी नीतियों ने विमुद्रीकरण, जी.एस.टी, कृषि संकट, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, समाजिक खर्च में कटौती, साम्प्रदायिक एवं व जातिवादी हमलों आदि मुद्दों को जन्म दिया था, लेकिन इस कुषासन के बावजूद ये सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गये। जब पुलवामा आतंकवादी हमले और इसके बदले में की गई बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक को किया गया तो भाजपा ने कट्टर अंध राष्ट्रवाद जगाने और लोगों को ज्वलत मुद्दों से हटाकर चुनावी व्याख्यान में उलझा लिया। हिन्दुत्व के वोट बैंक को सांप्रदायिक प्रचार अभियान चलाकर सुदृढ़ किया गया और घर वापसी, लव जिहाद, गौ रक्षा जैसे मुद्दों के इर्द–गिर्द योजना बद्ध हिंसक हमले ने सम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को मज़बूत बनाया ओर भाजपा की ओर ज्यादा मदद की।

नरेन्द्र मोदी की छवि को व्यवस्थित तरीके से इस तरह बढ़ा–चढ़ाकर पेष किया गया जैसे कि यह वही अकेला नेता है जो देश की रक्षा और नेतृत्व कर सकता है। नैगम–स्वामित्व वाले प्रिंट और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया ने इस प्रचार की कमान संभालकर भाजपा की मदद की। बड़े पैमाने पर नैगम–फंडिग का इस्तेमाल भाजपा द्वारा किया गया। चुनाव बांड के माध्यम

से भाजपा द्वारा जुटाये गये चंदे का हिस्सा भी हैरत में डालने वाला था। इन फंडो के 95 प्रतिशत का हिस्सा अकेले भाजपा द्वारा ही हासिल किया गया। बिना लिखा–पढ़ी का चंदा इसमें शामिल नहीं है। जिसे भाजपा ने हासिल किया। सेन्टर फॉर मीडिया स्टडी ने अनुमान लगाया है कि भाजपा ने 24 हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च किया, जिसका मतलब है कि पूरे चुनाव खर्च के 45 प्रतिशत खर्च भाजपा ने किया।

इन चुनावों में नैगम घराने के बहुत बड़े हिस्से ने नरेन्द्र मोदी और भाजपा की मदद की। भाजपा सरकार की पूंजीवाद से घनिष्ठ दोस्ती के चलते भीमकाय नैगम की सम्पत्ति में जबर्दस्त उछाल आया है। 2014 से 2018 के बीच मुकेश अम्बानी का औद्यौगिक साम्राज्य 23 बिलियन डालर से दुगना बढ़कर 55 बिलियन डॉलर हो गयी। इसका मतलब है कि मुकेश अंबानी ने भाजपा शासन के 5 वर्षों में और ज्यादा संचय कर लिया जितना कि 58 साल की उम्र में भी इतनी दौलत नहीं बनाई थी। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अडानी की संपत्तियों में 5000 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014–2018 की अवधि में अडानी की शुद्ध संपत्ति 2.6 बिलियन डालर से 4 गुणा बढ़कर 11.6 बिलियन डालर हो गई। बाबा रामदेव की पतंजलि भी बिलियन डालर कम्पनी बन गई जिसकी शुद्ध सम्पत्ति 2018 में 6 बिलियन डालर हो गई। देष के सबसे ज्यादा 20 अमीर लोगों में एक बाबा रामदेव भी है।

भाजपा की जीत का एक और कारण था कि इसने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार किया और लाभर्थियों तक इन योजनाओं की पहुंच बनाई। इन योजनाओं में से कुछ किसान सम्मान योजना, उज्जवला गैस, स्वच्छ भारत, मकान, स्वास्थ्य आदि है। इन्होंने भी कुछ प्रभाव पैदा किया।

विपक्ष के पास एकता एवं ध्यान केन्द्रित करने में कमी थी इसका स्पष्ट उदाहाण यह था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में भी वयनाड सीट से लड़े जो कि भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि वामपंथ के खिलाफ था। लेकिन भाजपा और इसके सहयोगियों को पूरी तरह से तमिलनाडु में धूल चटाई गई। राष्ट्रवाद और धमनिरेपेक्षता के मुद्दों के इर्द–गिर्द मोदी शाह ब्रिगेड को चुनौती देने से बुर्जआ विपक्ष ने इंकार कर दिया।

इस लोक सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका बुरी तरह से पूर्वागृह से ग्रसित और पक्षपात पूर्ण रही थी। भारतीय लोकतंत्र के लिए

यह एक खतरनाक संकेत है। ई.वी.एम. के खिलाफ तमाम शिकायतें भी आई इसलिए आवश्यक है कि इस विवादित मुद्दे पर भी विचार किया जाये।

u;k vkfFkZd gey %

इस जीत के साथ, मोदी–शाह के नेतृत्ववाली भाजपा आर0एस0एस0 सरकार के आर्थिक हमले तेजी से बढ़ेगें। आर्थिक हमले, पिछड़े तबको और अल्पसंख्यकों के ऊपर साम्प्रदायिक हमले लोकतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले शुरू भी हो चुके हैं।

मोदी के हाथ में खेलने वाले नीति आयोग से 46 सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों को बंद करने या निजीकरण करने, श्रम कानूनों में प्रमुख प्रतिगामी परिवर्तन और भूमि संग्रह का अभियान, विगत कई सालों में खरीफ की फसलों के न्युनतम समर्थन मूल्यों में सबसे कम वृद्धि की घोषणा, 2006 के भारतीय वनाधिकार कानून पर कठोर/बेरहम प्रस्तावित संशोधन जिसका उद्देश्य है कि आदिवासियों को विस्थापित करके नैगम घरानों की मदद की जायें आदि जैसी घोषणाओं को तत्काल चुनाव के बाद करके भाजपा सरकार ने आक्रमण के लिए रिहर्सल शुरू कर दिया है। और आने वाले सालों में जनता के ऊपर इस तरह के और अधिक हमले किये जाएगें।

पिछले हफ्ते पेश किये गए बजट ने उन गंभीर बीमारियों का जरा भी ज़िक्र नहीं किया जो की भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तकलीफ दे रही है। जिनमें आर्थिक मंदी, कृषि संकट, सर्वव्यापी सूखा औद्योगिक ठहराव और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे है। इस सारे बजट में मज़दूरी किसानो के लिए न्यूनतम मज़दूरी, कर्जमाफी और फसलों के लाभकारी दाम जैसे मुद्दों के ऊपर राहत के एक भी उपाय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नैगम क्षेत्र के लिए आर्थिक उपहारों की बारिश की गई है। राजमार्ग, रेलमार्ग के निर्माण, मेट्रो विकास और यहां तक कि समाज कल्याण में नैगम क्षेत्रो को घुसपैठ कराने की कोशिश की गई है 1.05 लाख करोड़ रुपये के आस.पास की योजना सार्वजानिक क्षेत्र के विनिवेश करके जुटाया जा रहा है। जो एक बार फिर नैगम शक्तियों की ही मदद करेगा। दूसरी और पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त अधिभार लगाकर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया गया है।

मनरेगा के आवंटन में एक बार फिर 1000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए अम्ब्रेला योजना के आवंटन में 2000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। एक महिला वितमंत्री द्वारा ही महिलाओं पर खर्च को 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया गया है। कुल खर्च का केवल 2.9 प्रतिषत अनुसूचित जातियों के लिए और 1.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा गया है जो कि आबादी में उनके हिस्से के हिसाब से बहुत की कम है।

xHkhj lw[kk dh fLFkfr

भारत का एक बड़ा हिस्सा गंभीर सूखे की अवस्था से गुजर रहा है। स्काई मेट (निजी मौसम विज्ञान एजेन्सी) के अनुसार पिछले 65 सालों में यह दूसरा मानसून–पूर्व पड़ने वाला सबसे ज्यादा बड़ा सूखा है। 2012 में संचयी वर्षा की कमी 31 प्रतिशत तक गई थी जब कि इस बार रिपोर्ट है कि यह मानसून पूर्व बारिश से 25 प्रतिशत पीछे है।

पहले ही मिल जाने वाली विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली के अनुसार ऐसा अनुमान है कि देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी या 50 करोड़ लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल, राजस्थान व तमिलनाडु के अगल–बगल के जिलों पर सबसे बुरी मार पड़ी है।

बांधों में जल भंडारण गंभीर स्तर तक नीचे गिर चुका है। केन्द्र नें इनमें से कुछ प्रदेशो को सूखा परामर्श जारी किया है। आंध्र प्रदेष, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान ने अपने कई जिलों को सूखा–प्रभावित घोषित कर दिया है लेकिन केन्द्र की भाजपा सरकार इन प्रदेशों को कोई भी राहत मुहैया कराने के लिए आगे नहीं आ रही है। मौजूदा असाधारण सूखा स्थिति को फौरन एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए युद्ध स्तर पर राहत उपायों को षुरू करना चाहिए।

O;kid csjkstxkjh

सी.एम.आई.ई के ताजा आकड़े दिखाते हैं कि फरवरी 2019 के पहले हफ्ते में बेरोजगारी दर 8.6 प्रतिशत थी। सितम्बर 2016 के बाद यह सबसे

ऊंचा स्तर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ) द्वारा फरवरी 2019 में तैयार की गई एक रिपोर्ट ने बताया था कि 2017–18 में वेरोजगारी दर ने पिछले 45 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है और 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर इस दौरान रही है। सेन्टर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकानमी (सी.एम.आई.ई) ने रिपोर्ट दी थी कि नौजवान बेरोजगारी स्तब्ध करने वाली 32 प्रतिशत पर और महिलाओं की बेरोजगारी दर 14 प्रतिशत थी।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरा कर लेने वाली शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर भी बढ़ी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ), ग्रामीण महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 2011–12 की 9.7 प्रतिशत से 2 गुना बढ़कर 2017–18 में 17.3 प्रतिशत और शहरी महिलाओं के लिए 2011–12 की 4 प्रतिशत से 5 गुणा बढ़कर 2017–18 में 19.8 प्रतिशत हो गई। नौकरियों कमी की समस्या बहुत कम मज़दूरी की वजह से और बढ़ जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। क्योंकि आकंडों में 82 प्रतिशत पुरूष और 92 प्रतिशत महिलाएं 10 हजार रुपये प्रतिमाह से कम कमा पाती हैं।

इसके साथ ही, आवंटन में कटौती करके मोदी सरकार द्वारा जानबूझ करके मनरेगा को बरवाद और तहस–नहस किया जा रहा है। पिछले साल मनरेगा मज़दूरों, जिसमें से ज्यादातर महिला श्रमिक थी जिन्होंने मनरेगा कार्यस्थलों पर काम किया था, को करीब 5 हजार करोड़ रुपया का भुगतान देने से इन्कार कर दिया गया।

ykdr= vkj /kefuji{krk ij u; gey

मोदी के सत्ता पर लौटने के बाद से दलितों और अल्प संख्यको के ऊपर हमले और भीड़ द्वारा पीट–पीट कर मार डालने की घटनाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। झारखंड में तबरेज अंसारी को 12 घंटों तक पीटा जाता है। भीड़ द्वारा बांधकर मारा जाता है और गुजरात में सम्मान के नाम पर हरीश सोलंकी की पीट–पीट कर की गई हत्या इस तरह के भयानक मामले हैं। कई स्थानों पर 'जय श्री राम' के नारे को लेकर लोगों पर हमला किया जा रहा है। साम्प्रदायिक एवं जातिवादी ध्रुवीकरण को तेजी करने के लिए व्यवस्थित तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है।

गुजरात दंगों में संदिग्ध भूमिका के चलते सर्वोच्च न्यायालय में मोदी के खिलाफ गवाही देने के फलस्वरूप पुलिस आफिसर संजय भट्ट को जामनगर अदालत द्वारा अजीवन करावास की सजा दी है और आरोप लगाया गया है कि 30 साल पहले हिरासत में एक मौत को पहले उन्हें पुलिस सेवा निलम्बित किया गया और बाद में पदमुक्त कर दिया गया।

कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ और प्रगतिशील वकीलों इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के यहां छापा मारा जाता है और घर–आफिस के हिस्सों को सील कर दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में जिन पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ की आलोचना की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी घटनाएं निचले स्तर का राजनीतिक प्रतिशोध है। त्रिपुरा में वामपंथ के ऊपर भाजपा–आर.एस.एस द्वारा और पश्चिम बंगाल में त्रिणमुल कांग्रेस द्वारा हमले बिना रुके जारी हैं। एक तरफ तृणमूल द्वारा और दूसरी ओर भाजपा आर.एस.एस द्वारा किये गए ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में एक गंभीर स्थिति को जन्म दे रहा है। केरल में सबरीमाला और अन्य मुद्दों के ऊपर वामपंथ के खिलाफ भाजपा आर.एस.एस और कांग्रेस साझा मुद्दो के आधार पर हमला कर रहे हैं।

कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियों के सांसदो और विधायको के अंदर घुसपैठ और खरीद फरोख्त की शर्मनाक घटनाएं यह दिखाती है कि विपक्ष को समाप्त करने के लिए यह किस सीमा तक जा सकते हैं और हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को तहस–नहस कर सकते हैं।

समझौता ट्रेन विस्फोट कांड में असीमानन्द और तीन अन्य को बाइज्जत बरी करने का शर्मनाक तरीका, यह दिखाता है कि भारत की अपराधी न्याय प्रणाली अतिवादी हिन्दुत्व के आतंकवादियों को उनके अपराधों के लिए न्याय करने में असमर्थ हैं। 2006 से 2008 के बीच अतिवादी हिन्दुत्व समूहों के नेटवर्क ने एक के बाद एक 6 आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। असीमानन्द, प्रज्ञाठाकुर और लेफ्टीनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जैसे प्रमुख सजिशकर्ताओं ने ही इन आतंकवादी वम धमाकों में सक्रिय भूमिका अदा की थी।

असीमानन्द जो कि एक आर.एस.एस– विश्व हिन्दू परिषद का कार्यकर्ता

है जिसे पहले भी मक्का मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह धमाके मामलों में छोड़ा जा चुका है, इन आतंकवादी हमलों का मुख्य संगठनकर्ता माना जाता है जो मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाता है। हिन्दुत्व अतिवादी समूहो से संबधित आतंकवादी मामलों को कमजोर बनाने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए) का हमेशा से संदिग्ध रिकार्ड रहा है। मक्का मजिस्द धमाके में असीमानन्द सहित सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया था।

अजमेर दरगाह का ही मामला केवल एक ऐसा मामला था कि जिसमे आर.एस.एस के दो लोगों को अपराधी घोषित किया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थीं। लेकिन उनकी मौत की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था।

2008 के मालेगांव धमाका मामले में मकोका की तहत प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर लगाए गए सारे अरोपों को वापस लिया गया। एक विशेष न्यायालय में गैर कानूनी गतिविधियां निर्वारण कानून के तहत प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकद्में को फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्रज्ञा ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित दोनों को ही निर्दोश साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। पब्लिक प्रॉसीक्युटर रोहणी सालियान ने शिकायत किया है कि एन.आई.ए उन पर दबाव बना रही है कि इस मामले में लचर रूख अपनाये। प्रज्ञाठाकुर और कर्नल पुरोहित को दी जा रही जमानत का एन.आई.ए ने कभी भी विरोध नहीं किया।

इन सभी मामलों में तरीका एक जैसा ही है–घटिया अभियोग, गवाहों का पलट जाना और दोष सिद्धी में कमी आदि एन.आई.ए के खाते में कलंक बने हैं। मक्का मस्जिद या अजमेर दरगाह मामले में असीमानन्द को रिहा करने के अदालत के फैसले के खिलाफ एन.आई.ए ने कभी भी अपील नहीं की।

समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, मक्का मस्जिद और अजमेर सरीफ धमाके मामलों में अभियुक्तों की रिहाई इसी बात को दिखाती है कि अतिवादी हिन्दु तत्वों द्वारा योजना बनाकर किये गये आतंकवादी हमलों के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिलेगी। अपराधी न्यायप्रणाली को नष्ट करके इस खतरनाक संदेश को दिया जा रहा है।

आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से लोकसभा का टिकट देकर और

संसद मे चुने जाने पर यह बात बहुत साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में हवा किस दिशा में बहेगी।

vejhdh lekT;okn dk lkeus lEki.k

मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी की शुरूआत इस संकेत के साथ की है कि वह अमरीका के छोटे हिस्सेदार की तरह ही काम करेगा। ट्रंप ने मांग की है कि भारत सीमा शुल्क की दरों में कमी करे व और ज्यादा अमरीकी समानों का आयात करे। अमरीका ने अपने देश में आने वाली भारतीय एलुमनियम और इस्पात के ऊपर सीमा शुल्क को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अमरीका ने भारत को विशेष सुविधा प्राप्त व्यापार वाले देश के दर्जे को खत्म कर दिया। इस दर्जे की वजह से भारत तमाम वस्तुओं को बिना सीमा शुल्क दिये निर्यात कर सकता था। इस व्यवस्था के खत्म होने के चलते जब भारत अपनी 1900 वस्तुओं को निर्यात करेगा तो उसे उत्पाद शुल्क देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बात की घोषणा अमरीका ने मार्च महीने मे की थी जिसे 60 दिन बाद से प्रभावी होना था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका विरोध करने के लिए कोई उपाय नहीं किया । यहां तक की जब अमरीका ने सार्वजनिक रूप से भारत की व्यापार नीति का अपमान किया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने मौन ही धारण रखा।

जब अमरीका ने भारत को ईरान से तेल खरीदने को मना किया, तो इसे मान लिया गया। इसके बाद जब अमरीका ने वेनेजुएला के खिलाफ आर्थिक युद्ध के चलते भारत से कहा कि वहां से तेल खरीदना बंद करो, तो भारत ने इस आदेष को मानने में भी बड़ी जल्दबाजी दिखाई। भारत लगातार अमरीका से अनुरोध करता रहा कि रूस से ट्रायम्फ एस–400 मिषाइल प्रणाली खरीदने पर उसके ऊपर प्रतिबंध न लगाये लेकिन अमरीका लगातार भारत के खिलाफ प्रतिबंध थोपने की धमकी देता रहा है। भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया गया कि वह रूस से न खरीदकर लॉकहीड निर्मित एफ–21 लड़ाकु विमान खरीदें।

fu"d"k %

कामरेडों और दोस्तों,

आज हालात बहुत विकट है। हमें इस विषय पर कोई गलती नहीं

करनी है मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में वापसी के साथ नव–उदारवादी हमलों और आर.एस.एस. भाजपा गठबंधन के फांसीवादी हमलों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा और विरोध करने के लिए हर संभव तरीके से संघर्ष करना होगा। आने वाले दिनों और सालों में अखिल भारतीय किसान सभा एवं सभी वामपंथी और जनतांत्रिक शक्तियों का मुख्य जोर इसी बात पर होगा।

अभी हाल ही के समय में मज़दूरों किसानो को बड़े–बड़े सघर्षों में संगठित किया गया है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो कि प्रमाणित भी है कि केवल इतना ही प्रर्याप्त नहीं है। संघर्षों के प्रसार और तीव्रता को तेजी से बढ़ाते हुए, खास करके स्थानीय स्तर पर, उनको प्रभावशाली राजनीतिक एवं वैचारिक अभियानों के साथ जोड़ते हुए सभी स्तरों पर संगठन को मजबूत बनाना वक्त की जरूरत है।

इसको हासिल करने के लिए संगठन के सारे स्तरों पर कार्यप्रणाली में उग्र सुधार और हम सबके अन्दर भी सुधार लाना होगा।

हमारा मुख्य उपद्देष एवं कार्यभार केवल मांगों को जीतने में नहीं होगा। बल्कि हमें लोगों के दिमागों और दिलों को जीतना होगा।

एक प्रसिद्ध कहावत है कि ''जब आगे बढ़ना कठिन हो तो आगे बढ़ने के लिए कठिन कदम उठाओ'' ठीक यही बात है जो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं और अ.भा.किसान सभा के लाखो सदस्यों को करना होगा। और हम करेंगे भी। इसमें कोई षक नहीं है कि ''हम लड़ेगे और हम जीतेगे''

vf[ky Hkkjrh; fdlku LkHkk ftnkckn
etnj fdlku ,drk ftnkckn
bdykc ftnkckn

egklfpo dh fjikV

साथियों,

दिसम्बर, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय किसान समिति की बैठक के लगभग सात महीने बाद और जुलाई, 2018 में विरुधुनगर में अखिल भारतीय किसान काउँसिल की अन्तिम के बैठक के एक साल बाद काउँसिल की बैठक आयोजित की जा रही है। पिछले एक वर्ष में दूरगामी घटनाविकास हुए हैं जैसे बढ़ता हुआ कृषि संकट, किसानों की आत्महत्याएं, भाजपा नीत राजग सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष। सबसे महत्वपूर्ण, इस एक वर्ष ने कृषक तथा अन्य मेहनतकष जनता द्वारा व्यापक संघर्षों के बाद भी कहीं बड़े अन्तर से भाजपा नीत राजग सरकार के पुनः चुने जाने को भी देखा। यह उन्मादी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण तथा अंध–राष्ट्रवादी अभियान के साथ–साथ मतदाताओं से झूठे वायदे करने के माध्यम से हुआ।

Hkktik d'kklu d ikp lky] l;Dr l?k"k vkj puko ifj.kke

2014 से 2019 तक भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के पांच साल, किसानों के साथ हुए सबसे बड़े विश्वासघात और किसान तथा मेहनतकश जनता की कीमत पर कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने वाली नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के तेजी से क्रियान्वयन के गवाह रहे हैं। भाजपा ने आक्रामक तरीके से उन नीतियों का अनुसरण किया जिसने कृषि में निवेश से राज्य की वापसी को सुनिश्चित किया, व्यापार तथा वित्तीय उदारीकरण को तेज़ किया, दोषपूर्ण आयात नीतियों की पैरवी की तथा साथ–साथ नोटबंदी के विनाशकारी निर्णय को लागू किया। इन नीतियों ने

खेती की आय को कम किया है और किसानों को अत्याधिक कर्ज़ में धकेल दिया है। सबसे बड़ा विश्वासघात उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक लाभकारी मूल्य को लागू करने से इन्कार करना था। पिछले पांच वर्षों में भी कृषि में लगने वाली वस्तुओं के व्यवस्थित विनियंत्रण को देखा गया और कृषि–व्यवसाय को उत्पादक मूल्य तय करने के लिए खुला हाथ दे दिया गया। कृषि बीमा पूरी तरह से कुछ कॉरपोरेट कम्पनियों को सौंप दिया गया है जिन्होंने किसानों की कीमत पर बेतहाषा मुनाफे एकत्र किये हैं। भूमि के अंधाधुंध अधिग्रहण तथा भूमि, जल, वन और खनिज संसाधनों के कॉरपोरेट द्वारा कब्जे के चलते लाखों किसानों, पारम्परिक वनवासियों और आदिवासियों का विस्थापन हुआ है।

किसानसभा की प्रति उत्तर कई स्तरों पर आया। यह केन्द्र में अ.भा.कि.स. के बैनर तले तथा राज्यों में अपने से सम्बद्ध संगठनों के बैनर तले स्वतंत्र संघर्षों के माध्यम से था। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अन्य जगहों पर व्यापक संघर्षों और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च, जिसने किसानों की नब्ज़ को छुआ था, वे सब अ.भा.कि.स. के बैनर तले थे। एक अन्य प्रति उत्तर विभिन्न संगठनों के साथ मुद्दों पर आधारित व्यापक एकता के निर्माण के द्वारा था। भूमि अधिकारों, वन अधिकारों के लिए तथा अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक आन्दोलन के रूप में परिकल्पित भूमि अधिकार आन्दोलन ऐसी मुद्दा–आधारित एकता बनाने की दिषा में पहला प्रयास था। लगातार संघर्ष और संसद मार्चों ने भाजपा सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे व्यापक तौर पर भाजपा सरकार की पहली हार के रूप में देखा गया और इसने संघर्ष के मार्ग पर किसानों और अन्य ताकतों के आत्मविश्वास को बनाने में मदद की। किसानों की एक अन्य एकता का निर्माण मंदसौर में फायरिंग के बाद किया गया था, जिसमें देष भर के किसानों के 210 संगठन शामिल थे, जो कि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कर्ज़–मुक्ति की दो मांगों पर निर्मित थी। राष्ट्र–व्यापी किसान मुक्ति यात्रा और किसान संसद प्रासंगिक थे जिसमें दो विधेयकों को तैयार किया गया था और जिन्हें बाद में संसद में निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी वर्गों की माँगों पर संघर्षों और मजदूर–किसान एकता की अवधारणा के अनुरूप किसान सभा, खेत मज़दूर

यूनियन तथा सीटू के बीच एक वर्गीय एकता छेड़ी गई और ऐसी एकजुटता की कार्यवाहियां हुईं जैसी पहले कभी नहीं हुई थीं। जबकि किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा आम हड़ताल का सक्रिय समर्थन किया, सीटू सक्रिय रूप से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आन्दोलन की वर्षगांठ पर जेल भरो में शामिल हुआ। 5 सितम्बर, 2018 को मजदूर–किसान संघर्ष रैली, तथा साथ ही साथ 29 और 30 नवम्बर, 2018 को किसान मुक्ति मार्च में सीटू की सक्रिय भागीदारी, सभी ऐसे हस्तक्षेप थे संयुक्त आन्दोलन के भविष्य पर असर डालेंगे। जन एकता जन अधिकार आन्दोलन के नाम पर नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों और साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ पर एक और अधिक राजनीतिक मुद्दा–आधारित एकता बनाने का प्रयास किया गया और इसके बैनर तले भाजपा सरकार को बेनकाब करने के के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों ने अच्छा प्रभाव डाला। सेवानिवृत्त जवानों के साथ संयुक्त संघर्ष भी किया गया जो कि एक नया प्रयास है और भविष्य में अधिक समन्वित कार्यवाही की गुंजाइश खोलता है।

लगातार संघर्षों के परिणामस्वरूप, किसान और कृषि संकट के मुद्दों को केन्द्रीय बिन्दु पर लाया जा सका। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर जहां विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा सरकारें हारी थीं, वहां पर इस हार को व्यापक तौर पर किसान संघर्षों के परिणाम के बतौर देखा गया। पूरे तौर पर एक ऐसा वातावरण बना जहां पर बड़े पैमाने पर यह महसूस किया गया कि किसान विरोधी भाजपा को हराया जा सकता है। इसने सभी राजनीतिक दलों को मजबूर किया कि वे संकटग्रस्त किसानों की तकलीफ को कम करने के लिए कथित तौर पर अपने उपायों के साथ आये। हालांकि, पुलवामा की घटना और बालाकोट हवाई हमले के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रमों ने परिदृश्य को बदल दिया। भाजपा और संघ परिवार द्वारा एक कट्टर अंध–राष्ट्रवादी अभियान छेड़ा गया, जिसका कई राज्यों में व्यापक प्रभाव पड़ा। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ इस ज्वार को मोड़ने के अलावा, यह कई राज्यों में चुनाव परिणामों को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक भी बन गया। भाजपा सरकार की नीतियों के तथाकथित लाभों का प्रचार करने वाले विज्ञापनों के साथ ज़ोर–शोर से चला अभियान, धनबल के बेतहाशा उपयोग ने भी भाजपा को सत्ता विरोधी लहर से उबारने में मदद की। प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि की घोषणा, जिसने दो

हेक्टेयर तक के किसानों के लिए रु 6,000 प्रति वर्ष का आश्वासन दिया और इसकी पहली किस्त किसानों के खाते में, यहां तक कि मतदान के दिन तक भी आ रही थी, उसने भी भाजपा को लाभ पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाही चूंकि योजना की स्वांगपूर्ण प्रकृति का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस तथ्य ने कि मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस ने भी नरम हिंदुत्व दृष्टिकोण को अपनाया और नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के अधिक आक्रामक तरीके से लागू करने की बात की, इससे भी बात नहीं बनी। 2014 की 282 की संख्या को बेहतर करते हुए भाजपा 303 सीटों में चुनाव जीतने में सक्षम हुई। राजग के अपने सहयोगियों के साथ उसने 43.86 प्रतिशत के वोट प्रतिशत के साथ 353 सीटें जीतीं। भाजपा ने देश भर में 200 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए। इसने 50 प्रतिशत मत का यह बाधा गुजरात के सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के 25 निर्वाचन क्षेत्रों, राजस्थान के 23, कर्नाटक के 20, दिल्ली के सभी 7 और हरियाणा के 10 में से 9 निर्वाचन क्षेत्रों में पार कर ली।

इस तरह की एक प्रभावशाली चुनावी जीत और विपक्ष, विशेषकर वामपंथी ताकतों के सिमट जाने के चलते वे लगभग ततकाल और अधिक अहंकारी और आक्रामक रुख दर्शा रहे हैं। अगले पांच वर्षों में किसान और मेहनतकश जनता के साथ–साथ जनवादी अधिकारों पर भी और अधिक हमले सम्भावित हैं; कॉरपोरेट मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाली नीतियों के और अधिक आक्रामक तरीके से लागू होने की सम्भावना है। उस दिशा में कुछ संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। हमें आने वाले दिनों में एकजुट संघर्षों तेज करने के लिए तैयार होना पड़ेगा।

ctV io ijke'k] uhfr vk;kx vkj vkfFkd lo{k.k

11 जून 2019 को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयोजित कृषि पर पूर्व–बजट परामर्श बैठक ने भाजपा के नेतृत्व वाली राजग –2 सरकार की किसान विरोधी प्रकृति को उजागर कर दिया है। किसानों, और खेत मज़दूरों के किसी भी संगठन को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था जबकि वे ग्रामीण समुदाय और मेहनतकश तबकों के विषाल बहुमत का गठन करते हैं, वो लोगों के लिए भोजन पैदा करते हैं। नौकरशाहों की एक श्रृंखला के अतिरिक्त, बड़े बागान मालिकों और अमीर किसानों का

प्रतिनिधित्व करने वाले केवल दो संगठनों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने बैठक में भाग लिया। यह दृष्टिकोण किसानों की समस्याओं के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है और कॉरपोरेट मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाली नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के अनुसरण को जारी का संकेत देता है। एक साक्षात्कार में नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्द दावा करते हैं कि भारतीय कृषि एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है, जहां "सरकार जितना ज्यादा हस्तक्षेप करेगी, विकास उतना ही कम होगा" जो कि दरअसल कृषि में निवेश से राज्य के कदम पीछे खींचे जाने का जोरदार आह्वान ही है। उनका तर्क है कि कृषि क्षेत्र को नियंत्रणों से मुक्त किया जाए, लागत की वस्तुओं पर अनुदान और सरकारी खरीद से आय के सहयोग और घाटे के भुगतान की दिशा में आगे बढ़ा जाए, और ''कृषि में अधिक कॉरपोरेट निवेश के लिए सक्षम माहौल'' बनाया जाए। ठेका कृषि, बड़े विक्रेताओं द्वारा किसानों से सीधी खरीद की अनुमति तथा और नियंत्रण को हटाये जाने जैसे नुस्खे कृषि क्षेत्र के समाधान के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण ने भी इसी दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित किया है। 2014 में भाजपा के घोषणापत्र ने कहा था, ''कृषि आर्थिक विकास की इंजन और सबसे बड़ी नियोक्ता है, और भाजपा कृषि विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। भाजपा कृषि और ग्रामीण विकास में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएगी।" अब आर्थिक सर्वेक्षण भी निजी निवेश को "विकास का प्रमुख चालक" बताता है। जबकि किसानों की आय को दोगुना करने की बात जारी है, यह दावा करता है कि एक बड़ा प्रोत्साहन इसलिए आया है क्योंकि सरकार ने 2018–19 के सत्र के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस स्तर तक कि वृद्धि का अनुमोदन कर दिया है जो कि ''उत्पादन की लागत का कम से कम डेढ़ गुना'' है। इस दावे का पर्दाफाश कई बार किसान सभा द्वारा किया जा चुका है और सरकार ने स्पष्ट रूप से अपना ज़ोर लागत के डेढ़ गुने से खिसका दिया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कम की गई लागत पर आधारित किया गया है जो कि नवीनतम घोषणाएं भी दर्शाती हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

Hkktik uhr jktx ljdkj us fdlkuksa dks /kks[kk fn;k% [kjhQ dh dhersa ykxr ds M+<s xqus ls dkQh uhps gSa

भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने खरीफ व्यापार सत्र 2019–20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एक ऐसी स्थिति में जब गम्भीर सूखे के कारण देश भर के किसान गहरे संकट में हैं, घोषित की गईं कीमतें केवल जले पर नमक के समान हैं। इसने धान की कीमतों में 3.7 प्रतिशत की बेहद मामूली से बढ़ोतरी की घोषणा की है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष भर में उत्पादन की लागत में भारी वृद्धि हुई है। इसका मतलब केवल रु 65 प्रति क्विंटल की वृद्धि ही होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (सी0ए0सी0पी0) की लागत गणना संदेहास्पद है और भारित औसत लागत, लागत को बहुत कम कर के आंके जाने के बाद निकाली जाती है और वह वास्तविक लागत के कहीं आस–पास भी नहीं होती है। उदाहरण के लिए, पंजाब राज्य सरकार द्वारा धान के लिए खरीफ व्यापार सत्र 2018–19 के लिए अनुमानित लागत रु 2,490/– प्रति क्विंटल थी, जबकि सी0ए0सी0पी0 की गणना मात्र रु 1174/– प्रति क्विंटल ही थी; राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत भी नहीं। भाजपा और जद–यू शासित बिहार में धान का लागत मूल्य 1605/– प्रति क्विंटल है, परन्तु सी0ए0सी0पी0 इसे मात्र रू 1398 प्रति क्विंटल मानता है। ओडिशा राज्य का अनुमान रू 2344/– प्रति क्विंटल जबकि सी0ए0सी0पी0 इसे केवल रू 1713/– प्रति क्विंटल ही मानता है। ज्यादातर फसलों में यही स्थिति है। यहां तक कि सी0ए0सी0पी0 द्वारा निकाली गई उत्पादन लागत, रू 1560/– प्रति क्विंटल को ही लें तो भी इसका डेढ़ गुना रू 2340 प्रति क्विंटल ही होगा। परन्तु घोषित न्यून्तम समर्थन मूल्य रू 1815/– प्रति क्विंटल है। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि केरल में धान का खरीद मूल्य रू 2,650/– प्रति क्विंटल है।

अरहर/तुअर के मामले में 2018–19 के लिए अनुमानित भारित औसत लागत मूल्य रू 4,481/– प्रति क्विंटल है। इस आंकलन को भी उसी प्रकार राज्य कृषि विभागों द्वारा गणना की गई वास्तविक लागतों को कम करके निर्धारित किया गया है। घोषित न्यून्तम समर्थन मूल्य लागत के उस डेढ़ गुने से काफी कम है, जो 2018–19 की अनुमानित लागत के अनुसार कम से

कम रू 7415 प्रति क्विण्टल होना चाहिए। वर्तमान में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 5675/– प्रति क्विण्टल मात्र ही है। करने के समान है। घोषित MSP C2. 50 प्रतिशत से नीचे का रास्ता है क्योंकि 2018–19 अनुमानित लागत के अनुसार कम से कम 7,471.5 / Qtl होगा। अभी घोषित MSP रु .6,675 / Qtl है। यह भी कर्नाटक में लागत मूल्य से कम है, जो अरहर/तुअर के मुख्य उत्पादकों में से एक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि नीति आयोग कृषि क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करने की बात कर रहा है। इससे लागत मूल्यों में और वृद्धि होगी। सरकार खरीद से अपनी दिशा को बदल कर घाटे के भुगतान की ओर करने की योजना बना रही है और कृषि को और अधिक कॉरपोरेट निवेश की ओर ढ़केल रही है। किसान सभा ने चेतावनी दी थी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सार्वजनिक खरीद से बचने के लिए निर्मित किये जा रहे हैं और यह समर्थन प्रणाली को ध्वस्त करने की दिशा की ओर ले जायेगा। यह अब सही साबित हो रहा है।

2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब अधिकांश फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तविक भुगतान लागत और पारिवारिक श्रम की आरोपित लागत (ए2+एफ0एल0) से अधिक था, लेकिन इसके बावजूद, किसान कर्ज़ में थे। मोदी का वादा निश्चित रूप से उस उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक का था, जिस उत्पादन लागत में भुगतान की गई लागतों का योग, परिवार के श्रम का आरोपित मूल्य, अपने स्वामित्व वाली पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य पर ब्याज, पट्टे पर ली गई जमीन के लिए किया गया भुगतान तथा स्वामित्व वाली भूमि का किराया शामिल था (सी2)। अब जबकि वे दावा कर रहे हैं कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत जो कि ए02 + एफ0एल0 से 50 प्रतिशत अधिक है, यह अधिकांश फसलों के लिए सी02+50 प्रतिशत से 30 से 60 प्रतिशत तक कम साबित हो रहा है। अधिकांश मामलों में किसानों को अपनी उत्पादन लागत का 80 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है। अधिकांश फसलों की खरीद का अभाव न्यूनतम समर्थन मूल्य को केवल अवधारणात्मक बना देता है क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में वास्तविकता में नहीं बदल पाता है।

भाग 2

lxBu dh lehf{kk fjikVZ

साथियो,

पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर गुणात्मक और साथ ही मात्रात्मक दोनों तरह की गहन गतिविधियां चलाई गईं हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली और देश भर में इस अवधि के दौरान किए गए किसान और श्रमिक गठजोड़ और भारी लामबंदी का गुणात्मक प्रभाव था। उतना ही महत्वपूर्ण था बड़े पैमाने पर, लंबा, मुद्दा आधारित एकजुट आंदोलन जिसने देश के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जिसमें तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार हुई।

हम देश भर में बड़े पैमाने पर एकजुट संघर्ष आंदोलन की पूरी क्षमता को आकर्षित करने में असमर्थ थे और इसने हमें राजनीतिक और साथ ही संगठनात्मक प्रगति के लिए आर्थिक मांगों पर बड़े पैमाने पर संघर्षों का लाभ उठाने से रोका। एकजुट आंदोलन के भीतर और विभिन्न स्तरों पर किसान सभा संगठन के भीतर आम समझ और सतर्कता बनाने में घोर असंतुलन था। अनिवार्य रूप से प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि हालांकि बड़े पैमाने पर संघर्षों ने किसान सभा को अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य राजनीतिक प्रक्रिया में रखा, पिछले पांच–छह वर्षों से इस अवधि के दौरान किसान सभा की सदस्यता में लगातार गिरावट देखी गई। एआईकेसी की इस बैठक में इस पहलू पर गहनता से चर्चा की जानी है और इस प्रवृत्ति को किसी भी कीमत पर उलटने की जरूरत है।

l;ä vkanksyu

जन एकता जन अधिकार आंदोलन (जेईजेएए) के मंच के अलावा, दो संयुक्त मंच हैं – भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) जिनमें किसान सभा ने महत्वपूर्ण और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। जेईजेएए का गठन 18 सितंबर 2017 को आयोजित एक अखिल भारतीय कन्वेंशन में किया गया था। हालाँकि, जेईजेएए अभियान और संयुक्त बैठकें अधिकांश राज्यों में की गईं, लेकिन कई राज्यों में जेईजेएए इकाइयाँ नहीं हैं, वहाँ भी जहाँ हमारे पास मजबूत इकाइयाँ हैं। अखिल भारतीय समन्वय समिति द्वारा तय किए गए अनुसार जेईजेएए इकाइयाँ जिला और निचले स्तरों पर काम नहीं कर रही हैं। आम चुनाव 2019 में दक्षिणपंथी सांप्रदायिक ताकतों की जीत के संदर्भ में, हमें अपने कार्यकर्ताओं के बीच सतर्कता की कमी के बारे में चर्चा करनी चाहिए ताकि जमीन पर मेहनतकश लोगों की एकता का निर्माण किया जा सके और जेईजेएए को सक्रिय करने के लिए महत्व दिया जा सके।

बीएए का गठन एनडीए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में संशोधन के अध्यादेश के संदर्भ में किया गया था। नौ राज्यों में बीएए की राज्य स्तरीय समन्वय समितियां हैं। बीएए के सदस्य संगठनों के बीच अधिक सामंजस्य था और लगभग सभी एआईकेएससीसी और जेईजेएए का हिस्सा हैं।

बीजेपी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में मंदसौर फायरिंग, जिसमें छह किसान मारे गए थे, की पृष्ठभूमि में एआईकेएससीसी का गठन किया गया था। यह मंच कर्ज माफी और एमएसपी के मुद्दों को उठा रहा है। कई अमीर किसान संगठन भी इस मंच का हिस्सा हैं।

8 अक्टूबर, 2018 को आयोजित एआईकेएस के पदाधिकारियों की बैठक में कहा गया था कि इन एकजुट प्लेटफार्मों की रैलियों में जुटे अन्य किसान संगठनों के लोगों के बीच हमारे प्रचार कार्य को पूरा करने में कमजोरियां हैं। बैठक ने इन तीन प्लेटफार्मों की रैलियों के पीछे जनता के बीच हमारे काम को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने का भी फैसला किया। राज्य इकाइयों को स्थिति की और जमीनी स्तर पर हमारे

द्वारा निभाई गई भूमिका की समीक्षा करनी होगी।

दिल्ली में 29 मार्च, 30 नवंबर 2018 को किसान मुक्ति मार्च और रैली में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों किसान शामिल हुए। 5 सितंबर 2018 को दिल्ली में एक विशाल लामबंदी के बाद यह संयुक्त रैली एआईकेएस के लिए एक कठिन काम था। लेकिन, महाराष्ट्र इकाई ने हिंदी राज्य इकाइयों के साथ इस अभियान संघर्ष में अच्छी तरह से लामबंदी की। किसान मुक्ति यात्रा का आयोजन दिल्ली के चार कोनों से किया गया था और लाल झंडे, तख्तियों, बैनर और टी–शर्ट और टोपी के कारण एआईकेएस की भागीदारी उल्लेखनीय थी। सीटू नेताओं ने, इसके महासचिव तपनसेन सहित आनंद विहार से यात्रा शुरू करके पूरे रास्ते पद यात्रा की और सैकड़ों ट्रेड यूनियन कैडर भी शामिल हुए। यह लामबंदी 24 नवंबर, 2018 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे को लेकर आम चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कुत्सित स्वार्थ के साथ संघ परिवार द्वारा आहूत रैली से कई गुना बड़ी थी। लगभग 20 राजनीतिक दलों ने रैली में भाग लिया और किसानों की मांगों पर एकजुटता व्यक्त की। रैली में किसानों का घोषणापत्र अपनाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह कर्जा मुक्ति और लाभकारी दाम की दो भागों से ऊपर है।

नवंबर 2018 के संघर्ष के बाद, आम चुनाव 2019 से पहले के शेष चार महीनों में, संघर्ष को आगे बढ़ाने और किसान और मजदूर वर्ग की जनता के लिए संघर्षों से बनी गति को बनाए रखने के लिए एआईकेएससीसी और जेईजेएए ने कोई पहल नहीं की। देश के चुनावी युद्ध में इन कमजोरियों का किसानों की सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करने में असर रहा।

इस संदर्भ में हमें जेईजेएए के महत्व पर चर्चा करनी होगी ताकि समकालीन राजनीतिक स्थिति में इसकी संरचना और भूमिका पर स्पष्टता को विकसित किया जा सके और अधिकतम लोगों तक पहुंचा जा सके जो हमारे राजनीतिक प्रभाव में नहीं हैं। हमें राज्य और जिला स्तर के प्लेटफॉर्म को भी एक समय सीमा के भीतर बनाने का निर्णय लेना है।

etnjk }kjk nk fnolh; vf[ky Hkkjrh; gM+rky

श्रमिक वर्ग और किसानों की वास्तविक मांगों पर 8 और 9 जनवरी

2019 को दो दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल कार्रवाई में श्रमिकों और ग्रामीण जनता की भारी भागीदारी देखी गई। इस ऐतिहासिक कार्रवाई में लगभग छह करोड़ श्रमिकों ने भाग लिया। एआईकेएस ने बीएए, एआईकेएससीसी और जेईजेएए के सदस्य संगठनों के साथ मिलकर हड़ताल की कार्रवाई के समर्थन में अभियान चलाया और रेल और रोड पिकेटिंग और गांव हड़ताल का आह्वान किया।

Ekt+nj fdlku ,drk fuek.k ij

पिछले एक साल की अवधि में, एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू और सीआईटीयू ने एक साथ काम करने की कोशिश की और बैठकों और अभियानों की श्रृंखला शुरू की गई। साझा मांगपत्र के आधार पर, 9 अगस्त, 2018 को जेल भरो संघर्ष आयोजित किया गया जिसमें 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और 5 सितंबर 2018 को मजदूर किसान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1.8 लाख लोग शामिल हुए। 19 जनवरी 2018 को देश भर में मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाया गया और जिला स्तरीय बैठकों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली में 8 अक्टूबर को आयोजित पदाधिकारियों की बैठक ने 9 अगस्त और 5 सितंबर की घटनाओं की समीक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं का निष्कर्ष निकाला।

हस्ताक्षर अभियान का आह्वान किसान जनता तक पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में नेतृत्व ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और प्राथमिक इकाइयों में काफी संगठनात्मक कमजोरी थी। यद्यपि यह तय किया गया था, लेकिन एआईकेएस कृषि संबंधी ज्वलंत मुद्दों पर पुस्तिका के रूप में पर्याप्त अभियान सामग्री प्रकाशित नहीं कर सका जिसे अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर किसानों तक ले जाया जा सकता था। हमारी रैली का नारा ''नीतियों को बदलो, अन्यथा जनता सरकार बदल देंगे'' को पर्याप्त रूप से लोकप्रिय नहीं बनाया गया।

5 सितंबर की रैली में एआईकेएस के कुल जुटाव का आंकड़ा आसानी से 50,000 को पार कर सकता था, अगर कई राज्यों से लामबंदी असंतोषजनक

नहीं रही होती। महाराष्ट्र और पंजाब को छोड़कर सभी राज्य अपने स्वयं के लामबंदी कोटा को पूरा नहीं कर सके।

हालांकि 5 सितंबर को दिल्ली की रैली केंद्रीय और राज्य स्तर पर सभी तीन श्रेणी के संगठनों के संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप, निस्संदेह एक अभूतपूर्व सफलता थी, भविष्य में इन वर्ग संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

vf[ky Hkkjrh; la?k"kZ dk jktuhfrd egRo

विभिन्न प्लेटफार्मों के तहत श्रमिकों, किसानों और अन्य सामाजिक वर्गों के मुद्दा आधारित स्वतंत्र और एकजुट संघर्षों को तेज करने के संदर्भ में– हम निस्संदेह एआईकेएस की नेतृत्वकारी भूमिका को देशभर में लामबंदी की क्षमता, प्रहार–षक्ति और राजनीतिक स्पष्टता के आधार स्थापित करने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र इकाई द्वारा दो बार आयोजित किसान लांग मार्च ऐतिहासिक बन गया है और न केवल किसानों बल्कि समूचे मेहनतकश लोगों की कल्पना को बल मिला है। इन सभी प्रयासों के कारण एआईकेएस नव–उदारवादी और सांप्रदायिक खतरे, दोनों के खिलाफ किसानों के अग्रणी संगठन के रूप में उभरा है।

श्रमिक–किसान एकजुट कार्रवाई सामूहिक और वर्गीय कार्रवाइयों के एकजुट आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन को चिह्नित करती है और वामपंथी और लोकतांत्रिक बलों के नेतृत्व में मूलगामी परिवर्तन की ताकतों को मजबूत करने में मदद करेगी। वर्ग की राजनीति राजनीतिक ध्रुवीकरण और श्रमिकों और किसानों के एकजुट वर्ग आंदोलन को प्रभावित करेगी – अपनी नेतृत्व भूमिका को पूरा करने के लिए– दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित हर सामाजिक प्रतिरोध आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है, जो अब सामाजिक मुद्दे ही नहीं हैं वर्ग के मुद्दे भी हैं।

gkfly fd, tkus ;kX; ekxksa ij LFkkuh; la?k"kZ dk egRo

अखिल भारतीय स्तर पर किसान प्रतिरोध के निर्माण में मदद करने वाली एक प्रमुख प्रवृत्ति वास्तव में हमारी राज्य इकाइयों द्वारा आम मांगों के साथ साथ ज्वलंत और हासिल किए जाने योग्य स्थानीय मांगों पर ध्यान

केंद्रित करके स्थानीय संघर्षों पर किसान रैली करने का प्रयास था। इस संबंध में महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की राज्य इकाइयों के प्रयासों का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। उनमें महाराष्ट्र में किसान लांग मार्च और राजस्थान में दिन और रात के सामूहिक संघर्ष के 14 दिन विशेष उल्लेखनीय हैं। विभिन्न मुद्दों पर आधारित इन संघर्षों ने लगातार हजारों किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को सड़कों पर रैली करने में मदद की और अखिल भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव बनाने में योगदान दिया। ये संघर्ष और परिणामस्वरूप अन्य सामाजिक वर्गों से प्राप्त राजनीतिक प्रतिक्रिया वास्तव में स्वतंत्रता पूर्व काल में बड़े पैमाने पर किसान संघर्षों की महान परंपरा से मिलती–जुलती थी, जो वास्तव में जोतने वाले को भूमि के नारे के साथ थी, जो वास्तव में इतिहास के उस काल के सामंतवाद–विरोधी साम्राज्यवाद–विरोधी विद्रोह की रीढ़ थी। यह अनुभव पूरे संगठन को विश्वास दिलाता है कि एआईकेएस सही रास्ते पर है और हम अखिल भारतीय स्तर पर विकल्प के रूप में वाम और लोकतांत्रिक ताकतों की उभरती एकता के मुख्य आधार के रूप में काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में, भूमि और ऋण के मुद्दों के अलावा न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के दो मुद्दे आरएसएस–भाजपा नीत मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर–किसान गठजोड़ के आगामी संघर्ष कॉर्पोरेट–विरोधी फलक को चिन्हित करेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे और शासक व्यवस्था की साम्राज्यवाद समर्थक प्रकृति को बेनकाब करेंगे।

यहां एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हालांकि, सीआईटीयू, एआईएडब्ल्यूयू और एआईकेएस द्वारा संयुक्त कॉल थी, एआईकेएस केंद्र के निर्देशों के बावजूद, कई राज्यों में संयुक्त गतिविधियां और यहां तक कि बैठकें भी आयोजित नहीं की गईं। मजबूत राज्यों सहित कुछ राज्यों में, राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकें भी नहीं हुईं। यद्यपि श्रमिक किसान एकजुट कार्रवाई के लिए संयुक्त आह्वान ने नेतृत्व और रैंक और फाइल के बीच नया उत्साह पैदा किया है, हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर अनिच्छा भी थी। इसे तत्काल ठीक किया जाना है। सीटू, एआईएडब्ल्यूयू और एआईकेएस की संयुक्त बैठक को राज्य और जिला स्तर पर बुलाया जाना चाहिए और इन संगठनों के समेकन और विस्तार और ग्रामीण इलाकों में वर्ग संघर्ष को तेज करने के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।

मजदूर–किसान एकजुट कार्रवाई की प्रक्रिया जेईजेएए के बैनर तले भविष्य के संयुक्त सामूहिक संघर्षों और साथ ही अन्य सेक्टर वार प्लेटफार्मों के रूप में पुल का काम करेगी। इसलिए इस एआईसीसी बैठक को प्राथमिकता तय करनी होगी और जेईजेएए के राज्य और जिला अध्यायों का शीघ्र गठन सुनिश्चित करना होगा और उन्हें नेतृत्व करने के लिए कुशल अग्रणी कैडर प्रदान करना होगा ताकि जेईजेएए विभिन्न सामाजिक वर्गों के मुद्दों के आधार पर लोगों को जुटा सके और वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ा सके। केवल एकजुट संघर्ष की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही वाम और लोकतांत्रिक मंच अखिल भारतीय स्तर पर, और विभिन्न राज्यों में भी प्रभावी ढंग से संघर्षों को आगे बढ़ाने बनाया जा सकता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण लाने के लिए तैयार किया जा सकता है ताकि किसान और श्रमिक वर्ग के पक्ष में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सके।

इसलिए सभी राज्य इकाइयों को अपने आंदोलन को स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से अखिल भारतीय संघर्ष के साथ एकजुट करने के साथ–साथ किसानों और ग्रामीण श्रमिकों की बड़े पैमाने पर लामबंदी के लिए स्थानीय संघर्षों को भी जागृत करने की संभावना तलाशनी होगी। राज्य इकाइयों को सचेत रूप से कार्यकर्ताओं के बीच अखिल भारतीय चेतना को विकसित करना होगा और उन्हें संघीय परिप्रेक्ष्य से बाहर आने में मदद करनी है जो उन्हें राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक स्थिति के अनुसार स्वयं को सीमित कर रहा है।

lkçnkf;d /kzohdj.k dk eqdkcyk djus fy,

सांप्रदायिक तत्व, विशेष रूप से संघ परिवार के नेतृत्व में, समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बर्बाद करते हैं और इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बड़े चुनावी लाभ प्राप्त करते हैं। धार्मिक और समुदाय आधारित आंदोलन और उनका नेतृत्व इस प्रक्रिया के साथ तेजी से बढ़ रहा है और संविधान और समाज की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नींव को नष्ट करने का यंत्र बन गया है। यह केरल जैसे समाजों में भी हो रहा है, जहां सामाजिक सुधार आंदोलन की जड़ें काफी गहरी हैं। कांग्रेस जो विपक्ष में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वास्तव में इस सांप्रदायिक डिजाइन के प्रति समर्पण करती है और गोहत्या बनाम संरक्षण, राम मंदिर के निर्माण, और

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश आदि मुद्दों पर नरम सांप्रदायिक सोच का पालन करके प्रक्रिया में मदद करती है। कांग्रेस (I) के नेतृत्व वाली राजस्थान की राज्य सरकार ने हाल ही में अप्रैल 2017 में आरएसएस समूह के संगठनों द्वारा मारे गए डेयरी किसान पहलू खान के परिजनों के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के कारण सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ रही है जिससे जनता के बीच विभाजन और हिंसा हो रही है।

राजनीतिक आंदोलन अकेले इस चुनौती को हल नहीं कर सकते। इसे धार्मिक समुदायों के भीतर, आस्तिकों के ले जाने की जरूरत है। परिवर्तन का विज्ञान यह है कि यह आंतरिक बलों के बीच टकरावों और संघर्ष से उत्पन्न होता है और बाहरी ताकतें केवल उस प्रक्रिया की बाहर से सहायता कर सकती हैं और प्रभावित कर सकती है। इसलिए, समकालीन राजनीतिक स्थिति प्रगतिशील आंदोलनों और वर्गीय और जन संगठनों को विभिन्न धर्मों और समुदायों के भीतर सांप्रदायिक, कट्टरपंथी और विभाजनकारी तत्वों का मुकाबला करने और अलग–थलग करने के लिए धार्मिक आंदोलनों के भीतर धर्मनिरपेक्ष स्थान का विकास करने और विस्तार करने के लिए पूरी तरह से अलग निदान अपनाने की मांग करती है।

ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर मूलगामी सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के निर्माण में सभी प्रगतिशील वर्गों और व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाकर संयुक्त जन और वर्ग संगठनों द्वारा बहुत दृढ़ और प्रेरित संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विभिन्न धर्मों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्मनिरपेक्ष तत्वों के साथ हाथ मिलाकर सांप्रदायिक और विभाजनकारी तत्वों का विरोध कर सकें। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक मुद्दों को उठाने में अनिच्छा की समीक्षा और सुधार किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक ताकतों के सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर किसानों को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ लगातार अभियान चलाना चाहिए। एआईकेसी की बैठक को इस दिशा में चर्चा और अन्वेषण करना है।

fgUnh iV~Vh dh bdkb;ksa ds fy, jktuhfrd f'k{kk

आगरा में हिंदी पट्टी की राज्य इकाइयों के मुख्य नेताओं के लिए के

12–14 फरवरी, 2019 को एक तीन दिवसीय राजनीतिक स्कूल का आयोजन किया गया। स्कूल में उपस्थित बहुत अच्छी थी और यह फलदायी रहा। स्कूल में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उतराखंड, एचपी, एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कॉमरेड शामिल हुए। हन्नान मोल्ला, अशोक धवले, एनके शुक्ला, विजू कृष्णन, बादल सरोज और पी कृष्णाप्रसाद द्वारा विभिन्न विषयों पर कक्षाएं ली गईं। हिंदी पट्टी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए केंद्रीय विद्यालय 2011 में आठ साल पहले नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

lnL;rk

हालांकि एआईकेएस की गतिविधियां अखिल भारतीय के साथ–साथ राज्य स्तर पर भी तेज हुई हैं और कई कमजोर राज्यों ने हाल के दिनों में अपने कामकाज में सुधार किया है, जो अखिल भारतीय स्तर पर हमारी सदस्यता नामांकन में परिलक्षित नहीं होते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज की गई सदस्यता यह साबित करती है कि 2012–13 से 2017–18 तक हमारी सदस्यता 20181586 से घटकर 1,38,46,252 हो गई, जो 63 लाख से अधिक सदस्यों का नुकसान है। यह गंभीर चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में खेत मजदूर यूनियन में लगभग 17 लाख सदस्यता का स्थानांतरण इस गिरावट का एक कारक है। फिर भी यह बहुत अधिक गिरावट संकट की एक अतिरिक्त सामान्य स्थिति को दर्शाती है जो इसके ऊपर उठने के लिए अतिरिक्त सामान्य योजना की जरूरत का संकेत देती है।

सदस्यता की अधिकतम गिरावट पश्चिम बंगाल में हुई है, जहां लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले की उच्च तीव्रता अभी भी टीएमसी के शासन में चल रही है। एआईकेएस कार्यकर्ता राज्य के कई हिस्सों में स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थ हैं। कृषि श्रमिकों की अलग यूनियन का गठन वहाँ की सदस्यता में गिरावट का एक और प्रमुख कारण है। त्रिपुरा में भी पिछले विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे की हार के बाद इसी तरह की स्थिति विकसित हुई है और लोकतांत्रिक आंदोलन पर निर्मम हमला हो रहा है। हमें उस लोकतांत्रिक किसान आंदोलन को बचाने के लिए उसका कड़ा विरोध करना होगा। लेकिन यह एक सच्चाई थी कि देश के अन्य हिस्सों में वैज्ञानिक और व्यवस्थित नामांकन होने पर हम सदस्यता नामांकन में अपनी

स्थिति को और उन्नत कर सकते थे।

33वें सम्मेलन ने अभियान और जांच की वैज्ञानिक योजना के बिना सदस्यता के वर्षभर लंबे नामांकन के बजाय जिला वार ब्रेक अप और वर्षवार तुलनात्मक फॉर्मेट के साथ सदस्यता की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्णय लिया था। लेकिन, हमें अभी तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिले हैं और सदस्यता की गंभीरता जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सामान्य चेतना में अभी तक परिलक्षित नहीं हुई है। अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर प्रचलित, व्यवस्थागत राजनीतिक स्कूली शिक्षा की अनुपस्थिति उसे प्राप्त करने में एक बड़ी कमी थी।

पिछली एआईकेसी बैठक ने वर्ष 2018–19 से सदस्यता को मंजूरी देने के लिए रिपोर्ट किए गए अकेले सामूहिक आंकड़े और लेवी राशि को स्वीकार करने की प्रथा को रोकने का फैसला किया था। राज्य समिति द्वारा विधिवत प्रस्तुत वैज्ञानिक विश्लेषण और तुलनात्मक आंकड़ों के विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही सदस्यता स्वीकार की जाएगी। पिछली एआईकेसी बैठक ने यह भी निर्णय लिया कि उन राज्यों से सदस्यता, जिन्होंने ब्रेक अप और जांच रिपोर्ट नहीं दी है, उन्हें अनंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा और उन्हें अंतिम अनुमोदन से पहले उचित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। लेकिन, वर्ष 2018–19 के लिए, अब तक केवल पांच राज्यों ने लेवी राशि के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आम चुनाव के कारण सदस्यता नामांकन प्रभावित हुआ है और हमें इस एआईकेसी बैठक में इसे अंतिम रूप देना है।

हमें एक सख्त निर्णय लेना होगा कि वही नीति सभी निचले स्तर की इकाइयों द्वारा भी अपनाई जानी चाहिए और वार्षिक व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसके बाद उस रिपोर्ट को उच्च समितियों को प्रस्तुत करना होगा और फाइलों के रूप में रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।

एआईकेएस के संविधान के अनुसार, एक किसान में एक किसान, और खेतिहर मजदूर, कोई अन्य ग्रामीण मजदूर और आदिवासी लोगों के सदस्य भी शामिल हैं। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आबादी 12.3 करोड़ घरों की है। यह कृषि श्रमिकों के 14.9 करोड़ परिवार हैं। दोनों

हिस्सों को एक साथ जोड़कर 2015 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 27.2 करोड़ परिवार हैं और 4 सदस्यों के औसत परिवार से गुणा करें, तो कुल 125.6 करोड़ जनसंख्या में लगभग 108 करोड़ आबादी कृषि पर निर्भर होगी। तब, मोटे अनुमान के अनुसार, एआईकेएस सदस्यता–जो परिवार की सदस्यता है, आज लक्षित आबादी का केवल 1.27 प्रतिशत है।

प्रत्येक राज्य इकाई को समान लाइन में अपनी सदस्यता का मूल्यांकन करना है और अगले दस वर्षों के भीतर संबंधित राज्य में कम से कम 10 प्रतिशत किसानों की आबादी को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति और व्यावहारिक योजना तैयार करनी है। यदि हम 10 प्रतिशत पार कर सकते हैं जो 10 करोड़ सदस्यों से ऊपर है, तो किसान आंदोलन देश में राजनीतिक प्रक्रिया को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है और मज़दूर किसान एकता को मज़बूत कर किसान व ग्रामीण मज़दूरों के अधिकारों के संघर्ष की धूरी बन सकता है।

इस दिशा में, संगठित श्रमिक वर्ग आंदोलन की मदद और समर्थन से, एआईकेएस वैकल्पिक नीतियों के आधार पर कृषि क्षेत्र में उत्पादन और स्वामित्व पैटर्न में संबंधों का पुनर्गठन सुनिश्चित करने के लिए संघर्षों का विस्तार कर सकती है और उन्हें तेज कर सकती है और इस तरह समकालीन कृषि संकट को व्यापक रूप से संबोधित कर सकती है। सभी राज्य इकाइयों को सभी स्तरों पर समिति के कामकाज में कमियों को सुध ारना होगा और सदस्यता बढ़ाने के लिए प्राथमिक इकाइयों को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो एक दूसरे के पूरक होंगे।

tu&çfrjks/k vkj vkRej{kk dk egRo

लोकतांत्रिक किसान आंदोलन पर बढ़ता व्यवस्थित और निर्मम हमला गंभीर चिंता का विषय है। एआईकेएस के अनेक कार्यकर्ता, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अनेक कार्यकर्ता क्रमशः टीएमसी और बीजेपी की सत्तारूढ़ व्यवस्था की मदद से अति हिंसा के शिकार हो गए हैं और पुलिस और प्रशासन उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एआईकेएस इकाइयों और कार्यकर्ताओं को अधिनायकवादी शासन के तहत अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता से वंचित किया गया है जो किसान अधिकारों को

प्राप्त करने के लिए सदस्यता, अभियानों और संघर्षों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस स्थिति को किसी भी लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

एआईकेएस में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और सामंती–शासक शासकों द्वारा नियंत्रित सैन्य शासन से लड़ने और काबू पाने की महान, वीर, निडर परंपरा है। वर्तमान स्थिति में हमें हिंसा के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिरोध का निर्माण करने और किसान और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष के मजबूत आंदोलन का निर्माण करने की रणनीति अपनानी होगी। अखिल भारतीय आंदोलन को ऐसे हमलों का सामना करने वाले कामरेडों तक पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा और दमनकारी और अधिनायकवादी शासन के खिलाफ आत्मरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

foLrkj dk fy, nh?kdkfyd ;kstuk&

पिछली एआईकेसी बैठक ने संगठन पर एक विशेष समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की थी और संगठन के विस्तार पर 10 साल की योजना विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। 24–27 जुलाई 2013 को तमिलनाडु के कुडलोर में 33 वें सम्मेलन के बाद से, व्यवस्थित रूप से संगठन के निर्माण के महत्व पर चर्चा की गई है और रजिस्टर पर ध्यान देने और प्राथमिक इकाइयों को सक्रिय करने का संकल्प लिया गया है। लेकिन, इस मामले में कम प्रगति है और हाल के वर्षों में यह सदस्यता की नियमित गिरावट में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान प्रमुख उपलब्धि कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर संघर्षों की श्रृंखला और किसानों के मुद्दों के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर संगठित करने में सफलता है। यह अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व के साथ–साथ संबंधित राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से और इसी तरह से किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में जागरूक हस्तक्षेप का परिणाम है। इससे पता चलता है कि देश भर में किसान संघर्ष के रास्ते पर आने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी इस प्रक्रिया को बाधित करती है। इस विरोधाभास को गंभीरता के साथ संबंधित स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है।

इस संबंध में हमें हाल ही में संघर्षों की समीक्षा और कैडर विकास और

तैनाती, राजनीतिक स्कूली शिक्षा, सदस्यता, प्राथमिक इकाई, समिति के कामकाज, निधि संग्रह, फसल वार जुटाना, संगठन के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चरित्र सहित अन्य सभी प्रमुख संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत कार्य रिपोर्ट के आधार पर विस्तारित राज्य समितियों (जिला सचिवालय सदस्यों सहित) की दो दिवसीय बैठकें एआईकेसी मीटिंग के तुरंत बाद आयोजित करनी हैं और अन्य पदाधिकारियों के साथ न्यूनतम दो एआईकेएस केंद्रीय पदाधिकारियों की संबंधित राज्य समितियों में भाग ले सकते हैं। समीक्षा के निष्कर्षों को निचले स्तर की समितियों को सूचित किया जाना चाहिए और सुधार के लिए आवश्यक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है और बाद में इसकी समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन की छह महीने की अवधि के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए। चूंकि हमें निकट भविष्य में सम्मेलन की कार्यवाही करनी है, इसलिए संबंधित समितियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए युवा और महिला संवर्गों की भर्ती के लिए विशेष प्रयास करने चाहिएं।

विशेष रूप से कमजोर राज्यों में समेकन और विस्तार के हिस्से के रूप में, वर्तमान पूर्णकालिक कार्यकर्ता का वेतन जो अत्यधिक अपर्याप्त है, फिर से तय किया जा सकता है ताकि अधिक कैडरों की पहचान की जा सके और उन्हें पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में तैनात किया जा सके और पूर्णकालिक कैडर संगठन निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें नव–उदारवादी और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्षों और प्रतिरोध के समग्र माहौल का लाभ उठाते हुए किसान आंदोलन के निर्माण के लिए राज्य केंद्र को सक्रिय बनाने और नियमित रूप से काम करने के लिए कमजोर राज्य इकाइयों की सहायता करने पर विचार करना होगा और देश भर में मजदूर–किसान गठजोड़ को आगे बढ़ाना होगा।

हमें अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी किसान आंदोलन के समेकन और विस्तार के प्रयास के तहत पूर्णकालिक कैडरों की बैठकों का आयोजन करना है और विरूधु नगर में पिछली एआईकेसी बैठक के निर्देश के अनुसार 10 साल की योजना बनानी है। हमें राज्य क्षेत्र के साथ–साथ अखिल भारतीय केंद्र में काम करने के लिए विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र से अधिक सक्षम कैडरों की पहचान और भर्ती करनी है।

हस्तक्षेप का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां भी संभावनाएं हैं, वहां

किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन को मजबूत करने और विस्तार करने में जिला और स्थानीय स्तर पर सीटू और एआईएडब्लूयू के साथ एकजुटता को बढ़ाना है। आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, आशा, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा, बिजली आदि में ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं की मदद से सामूहिक प्रयास बड़े सामूहिक आधार और राजनीतिक प्रभाव को इकट्ठा करने के लिए उपयोगी होंगे। इसी तरह एआईकेएस इकाइयों को महिलाओं, युवाओं और छात्रों के सामूहिक आंदोलनों को गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और समेकित करने के लिए पारस्परिक रूप से मदद करने की संभावनाओं पर विचार करना होगा।

ih lqnj;;k VªLV

पी सुंदरैय्या ट्रस्ट के कामकाज को अखिल भारतीय के साथ–साथ राज्य स्तर पर मजबूत और विस्तारित करने और राज्य अध्याय बनाने की आवश्यकता है। पी.एस.ट्रस्ट की राज्यों की इकाईयां बनाने की जरूरत है जहां भी यह संभव हो। यह राज्य स्तर पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों व क्षेत्रीय मुद्दों के लिए मददगार होगा, यह ग्रामीण स्तर पर विकास व देखरेख और अजीविका परियोजनाओं के समर्थन करने के लिए मज़दूर किसान सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करें व इसके साथ ही मौजूदा षोषक सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्षों को आगे बढ़ाएगा।

एक अलग कार्यालय षुरू किया जाए और योग्य और प्रतिबद्ध शोधार्थियों को इससे जोड़ा जाए व 2019–20 से इसके काम की शुरूआत की जाए। पी.एस.ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के काम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के पुराने निर्णय को क्रियान्वित किया जाए और ज्ञान–विज्ञान आंदोलन व शैक्षणिक विशेषज्ञों के समर्थन से अनुसंधान विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उप समीतियों का गठन किया जाए।

Qlyokj ykecanh vkSj Hkou fuekZ.k Jfed&fdlku lkekftd lgdkfjrk,a

पिछली एआईकेसी मीटिंग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार कृषि संकट और श्रमिक–किसान सामाजिक सहकारी समितियों पर एक कार्यशाला 11, 12 जुलाई 2019 को हैदराबाद में आयोजित की गई है जो एक सफल

कार्यक्रम था। निकाले गए निष्कर्षों पर कार्रवाई की ठोस योजना बनाने के लिए पदाधिकारियों और सीकेसी स्तर पर आगे चर्चा की जाएगी। विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के, खास तौर से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हित में विकास के पैमाने का उपयोग करने के लिए कृषि मांगों पर संघर्ष और विकसित करने के लिए ठोस मांगों पर संघर्ष के साथ–साथ कृषि प्रसंस्करण और विपणन नेटवर्क विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

fo'o iwathoknh ladV vkSj Hkkjrh; —f"k ij laxks"Bh

पिछली एआईकेसी बैठक ने एआईएडब्ल्यूयू, सीआईटीयू के साथ विश्व पूंजीवादी संकट और भारत में कृषि संबंधी स्थिति, वैकल्पिक नीतियों की खोज पर संगोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया था। यह पिछले आम चुनाव के कारण नहीं हो सका। हमें निकट भविष्य में इसे आयोजित करने के लिए और कदम उठाने होंगे।

mi lfefr dkedkt

अखिल भारतीय कॉफी उत्पादक सम्मेलन– 22 अक्टूबर 2018 को बैंगलोर में आयोजित किया गया था, जिसमें 105 के कोटे में से 60 प्रति–निधियों ने भाग लिया था। (ब्रैकेट में कोटा) कर्नाटक –19 (30), केरल 14 (30), तमिलनाडु –10 (10), एपी– 0 (10), केजीएफ (कर्नाटक ग्रोवर्स फेडरेशन) –7 (20), फ्रेटरनल डेलिगेट्स 7, एआईकेएस सेंटर –3, कुल– 60

कॉमरेड हन्नान मौल्ला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और डॉ. बसवराज, निदेषक कॉफी बोर्ड गुणवत्ता नियंत्रण ने सहकारी योजना के तहत मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन पर एक सेमिनार में भाग लिया। सम्मेलन द्वारा अपनाया गया मांग चार्टर संलग्न है। निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक उपसमिति बनाई गई है : पी कृष्णाप्रसाद (संयोजक) तीर्थ मल्लेश (केजीएफ कर्नाटक), नवीन कुमार (केपीआरएस, कर्नाटक) और पी के सुरेश (केरल) (संयुक्त संयोजक), विजू कृष्णन, जयराम (केजीएफ कर्नाटक): दुर्गा प्रसाद (केपरआरएस, कर्नाटक), चंद्रन केपी (केरल), सेथु रामलिंगम (तमिलनाडु)। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय सचिव को एक ज्ञापन

सौंपा गया। उपसमिति ने 5 जून 2019 को बैंगलोर में अपनी पहली बैठक आयोजित की और आगे 30 अगस्त 2019 से पहले सकलेशपुर और कलपेटा में दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। केरल और कर्नाटक की राज्य इकाइयों को इस संबंध में ठोस उपाय करने होंगे।

एआईसीसी ने 23 अगस्त 2018 को डेरी किसानों की मांग को पूरा करने का निर्णय लिया था। इसके अवलोकन के संबंध में राज्य इकाइयों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

रबड़ उपसमिति–रबर क्षेत्र में जारी संकट के संदर्भ में बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव को पिछली एआईकेसी बैठक में रखा गया था। रबड़ उत्पादक राज्य बैठक आयोजित करने और आगे अभियान और संघर्ष करने के लिए पहल कर सकते हैं।

गन्ना किसानों की समिति और अभियान– गन्ना किसानों की समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में 06–09–2018 को बुलाई गई। जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक ने 29 और 30 अक्टूबर 2018 को देश भर में चीनी मिलों के सामने बड़े पैमाने पर संघर्ष करने का संकल्प लिया था और देश के कई हिस्सों में इसको लागू किया गया था। समिति ने यह भी प्रस्तावित किया कि गन्ना उगाने वाली राज्य इकाइयाँ सम्मेलन आयोजित कर सकती हैं और एक राज्य उपसमिति का गठन कर सकती हैं और पहले अखिल भारतीय सम्मेलन को ठोस कार्यक्रम के अनुसार अधिमानतः महाराष्ट्र में बुलाया जा सकता है। इस संबंध में और ठोस पहल की आवश्यकता है। तमिलनाडु इकाई स्वतंत्र सदस्यता और अंशदान के साथ राज्य संघ की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है।

एआईकेसी एआईकेएस से संबद्ध विभिन्न फसल वार महासंघों के लिए स्वतंत्र सदस्यता अंषदान के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और आगामी एआईकेएस सम्मेलन के विचार के लिए एक ठोस योजना तैयार की जा सकती है।

,vkbZds,l dh foÙkh; fLFkfr

एआईकेएस केंद्र गंभीर वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहा है और

पिछले पांच से छह वर्षों में देश भर में स्वतंत्र और संयुक्त संघर्षों और अभियानों की गहन गतिविधियों के संदर्भ में और कमजोर राज्य ईकाइयों की सहायता करने के लिए भी भारी खर्च उठाने के लिए मजबूर हुआ है। यहां तक कि हमें तुलनात्मक रूप से कमजोर क्षेत्रों में काम करने वाले पूर्णकालिक कैडरों को सहायता के रूप में दी जा रही अपर्याप्त सब्सिडी को 15 महीने तक निलंबित करने के लिए मजबूरहोना पड़ा। ऐसी राज्य इकाइयों पर बकाया राशि रु. 4,80000/– है जिसका ब्रेक अप निम्नलिखत है : हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड रु. 60000 प्रत्येक; गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और कर्नाटक रु. 45000 प्रत्येक; छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश रु. 30000 प्रत्येक; उत्तराखंड और मणिपुर रु. 15000 प्रत्येक। यह कमजोर राज्य इकाइयों में पूर्णकालिक कैडरों और उनके परिवारों का समर्थन करने में असमर्थता का एक गंभीर मामला है।

पिछले पांच वर्षों के लिए आय और व्यय का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है जो संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति का वर्णन करता है। वर्ष 2018–19 में वार्षिक व्यय की सीमा को 2012–13 की 17 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान हमारी आय में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि सदस्यता की लगातार गिरावट के कारण यह कम हो गयी है।

संबद्धता शुल्क में वृद्धि करके आय बढ़ाने के मुद्दे पर पिछले दो लगातार सम्मेलनों में चर्चा की गई और आखिरकार 2017 अक्टूबर में हिसार में अंतिम सम्मेलन में 10 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे करने का निर्णय लिया गया। उसी के अनुसार एआईकेएस सेंटर ने पिछले वर्ष 2017–18 से ही बढ़ी हुई आय प्राप्त करना शुरू किया है। सभी राज्य इकाइयों द्वारा एआईकेएस केंद्र को उनके वार्षिक कार्य निधि संग्रह का 5: प्रदान करने का निर्णय भी प्रभावी रूप से सभी इकाइयों द्वारा पालन नहीं किया गया।

हम बिल्डिंग फंड समेत 1.32 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बनाए रख रहे हैं। आपातकालीन स्थिति के कारण दो सावधि जमा वापस ले लिए गए और वर्तमान में हम सावधि जमा खाते में 1.19 करोड़ रु की राशि बनाए हुए हैं।

18, 19 मार्च, 2018 को आयोजित सीकेसी की बैठक में 5 करोड़ रुपये के किसान संघर्ष फंड 2018 – संगठन के भविष्य के विस्तार के लिए एक संघर्ष निधि का विकास करने का संकल्प लिया गया था। निर्णय प्रति ग्रामीण घर या स्थानीय दुकानदार केवल 10 रुपया इकट्ठा करने का था। 100 सदस्यों वाली एक ग्राम / प्राथमिक इकाई केवल 100रु.(10 घरों से प्रत्येक के 10 रुपये) एकत्र कर सकती है और 1000 सदस्यता वाले केवल 1000 रु. (100 घरों में से प्रत्येक के 10 रुपये) एकत्र कर सकते हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर एकत्रित राशि से, 50: राज्य / जिला स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए संबंधित राज्य इकाइयों के साथ साझा किया जा सकता है। प्राथमिक इकाइयों के पदाधिकारियों को एक पत्र और जनता के लिए एक नोटिस तैयार किया गया था और राज्य इकाइयों को प्रसारित किया गया था और दो दिन सामूहिक बाल्टी संग्रह के लिए पहले गांवों और फिर पास के बाजारों / कस्बों में आह्वान गया था। किसान विरोधी नव–उदारवादी नीतियों और आरएसएस–भाजपा गठबंधन के सांप्रदायिक एजेंडे दोनों के खिलाफ संघर्ष के संदेश के साथ ग्रामीण जनता तक पहुंचने के लिए एक राजनीतिक अभियान के रूप में इस निधि संग्रह की कल्पना की गई थी।

गाँवों में निधि संग्रह के भाग के रूप में, 22 और 23 जुलाई 2018 को, एआईकेएस केंद्र के साथियों हन्नानमोल्ला ने हरियाणा में, बिहार में एन के शुक्ला, तेलंगाना में विजू कृष्णन और मध्य प्रदेश के पी कृष्णाप्रसाद ने भाग लिया और अच्छी प्रतिक्रिया थी।

जुलाई/अगस्त 2018 में केरल में अभूतपूर्व बाढ़ की पृष्ठभूमि में लोगों की सहायता के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया और इस कारण केरल और पश्चिम बंगाल सहित अधिकांश राज्यों में किसान संघर्ष निधि संग्रह नहीं किया गया। फिर भी हम इस खाते में अब तक 11.34 लाख रुपये का फंड प्राप्त कर चुके हैं जिसका ब्रेक अप इस प्रकार है : पश्चिम बंगाल से 5 लाख रुपये, महाराष्ट्र से 2.25 लाख रुपये, तमिलनाडु से 2 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश से 65000 रुपये प्राप्त हुए जिसको केरल बाढ़ राहत कोष में भेजा गया और बाकी राज्य कमेटियों ने सीधे केवल बाढ़ राहतकोष में पैसे भेजे हैं।

,vkbZ,d dUn dh foRrh; fLFkfr

एआईकेएस केंद्र को अपने खर्चों को बनाए रखने के लिए और यहां तक कि केंद्रीय अधिकारियों को भत्ता और यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। इस स्थिति को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। अगर हमें देश भर में किसान आंदोलन और मजदूर किसान गठबंधन आधारित जन आंदोलन का निर्माण करना है, तो हमें कैडरों के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों की भी अधिक आवश्यकता है। इसलिए यह एआईकेसी बैठक इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर सकती है और व्यावहारिक और प्राप्य समाधानों पर पहुंच सकती है।

तीन सुझाव हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं–

1. हर साल 10 प्रतिशत सदस्यता बढ़ाना और संबद्धता शुल्क के माध्यम से बढ़ी हुई आय सुनिश्चित करना।
2. वार्षिक कार्य निधि एकत्र करना, कमजोर या मजबूत होने के निरपेक्ष, सभी राज्य इकाइयां सुनिश्चित करें और संबंधित राज्य इकाइयों द्वारा प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत एआईकेएस केंद्र में योगदान करें।
3. नवंबर/दिसंबर 2019 में किसान संघर्ष निधि 2019 के रूप में एक करोड़ रुपये एकत्र करें और इस तरह एकत्र राशि का 50 प्रतिशत एआईकेएस केंद्र को प्रदान करें।

fu"d"kZ

लोक सभा चुनाव 2019 में आरएसएस–भाजपा नीत एनडीए सरकार का पुनः चुनाव और नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल केवल शोषक और शोषित सामाजिक ताकतों के बीच तेज ध्रुवीकरण को दर्शाता है जिसके कारण दक्षिणपंथी सुदृणीकरण हुआ है–बेषक कांग्रेस (आई) सहित कॉर्पोरेट समर्थक विपक्षी राजनीतिक ताकतों को कमजोर करके, विशेष रूप से विश्व पूंजीवादी संकट के कारण वैश्विक मंदी का सामना करने के संदर्भ में। नव–उदारवादी और सांप्रदायिक ताकतों के तहत यह दक्षिणपंथी सुद्रणीकरण विशेष रूप से देश भर में कृषि, औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में किसान और मजदूर वर्ग के संघर्ष के तेज होने के संदर्भ में हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति वर्ग संघर्ष की बढ़ती

प्रासंगिकता और मजदूर–किसान गठजोड़ के तहत खासतौर से मेहनतकश जनता की प्रणालीगत और दीर्घगामी एकता के निर्माण पर स्पष्टता के महत्व को रेखांकित करती। इसके फलस्वरूप संघर्षों पर मेहनतकश जनता की विशाल एकता के साथ–साथ श्रमिक–किसान सामाजिक सहकारी समितियों पर आधारित विकास के वैकल्पिक मॉडल का निर्माण अनिवार्य रूप से कॉरपोरेट ताकतों के वर्चस्व वाले मौजूदा सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करेगा और चुनौती देगा।

अकेले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर वाम और लोकतांत्रिक जन और वर्ग आंदोलनों की ताकत का मूल्यांकन लोगों के बीच अपने वास्तविक प्रभाव को नहीं दिखा सकता है। समकालीन राजनीतिक प्रक्रिया पर स्पष्टता के साथ लगातार पहल से बुनियादी वर्गों के मुक्ति के संघर्ष में ठोस और पर्याप्त परिणाम मिलेंगे।

इसलिए, 100 प्रतिशत एफडीआई, मुक्त व्यापार समझौते, अनुबंध खेती के साथ, विशेष रूप से कृषि में बढ़ी कॉर्पोरेट पैठ के संदर्भ में, भविष्य के संघर्ष के आधार के रूप में भूमि और ऋण के मुद्दों के अलावा, शोषण के मुख्यधारा के तरीके के रूप में न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ज्वलंत मुद्दों की पहचान करना निर्णायक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया के भविष्य को आकार देगा। यह स्थानीय स्तर पर मुद्दों को संबोधित करने के साथ–साथ विशेष रूप से क्षेत्रों और स्थानीय लोगों में ताकत और राजनीतिक प्रभाव के अनुसार परिणामोन्मुख मुद्दे आधारित संघर्षों को तेज करने के लिए शासक वर्ग के सामाजिक बलों को चुनौती देने और सांप्रदायिक, जातिवादी और अन्य विभाजनकारी ताकतों को अलग–थलग करने के लिए स्थान प्रदान करेगा।

मजदूर–किसान गठजोड़ को कृषि क्षेत्र में संघर्षों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और ग्रामीण समृद्ध सांठगांठ के खिलाफ किसान और ग्रामीण सर्वहारा वर्ग को संगठित करना पड़ेगा। वाम और लोकतांत्रिक ताकतों की एकता, जो किसान और मजदूरों के बढ़ते संघर्षों के संदर्भ में उभर रही है, देश के वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

इसलिए हमें भविष्य के कार्यों की निम्नलिखित योजनाओं के आधार पर अपने संघर्ष को और तेज करके लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान करना है।

भाग 3

dk;lokgh dh Hkkoh ;kstuk

हन्नान मोल्लाह
महासचिव

1. विस्तारित दो दिवसीय राज्य समिति की बैठकें – एआईकेसी बैठक की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सभी राज्य समितियों (राज्य समिति के सदस्यों और जिला पदाधिकारियों) की दो दिन की विस्तारित बैठक की व्यवस्था 30 अगस्त 2019 से पहले किए जाने की आवश्यकता है– न्यूनतम दो केंद्रीय अधिकारी और पदाधिकारी की उपस्थिति में।

2. संगठन पर कार्यशाला– संगठन निर्माण पर कार्यशाला का आयोजन मार्च / अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में किया जा सकता है, जिसमें एआईकेएस सदस्यों के अलावा राज्य सचिवालय के सेलेक्टिड सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तारीख बाद में उचित परामर्श के साथ तय की जाएगी।

3. यूनिट पंजीकरण– वर्ष 2019–20 के बाद से प्राथमिक इकाइयों के पंजीकरण को अनिवार्य माना जा सकता है और प्रतिनिधियों का चुनाव सक्रिय और पंजीकृत प्राथमिक इकाइयों की संख्या और सदस्यता की शक्ति के आधार पर किया जा सकता है। जिला समितियों को पंजीकृत इकाइयों की सूची संबंधित राज्य इकाइयों को प्रस्तुत करनी है और इसकी सूचना प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य इकाइयों द्वारा एआईसीसी को दी जा सकती है।

4. सदस्यता 2019–20– सभी राज्य इकाइयों को सदस्यता के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करना है। इस संबंध में फसलवार लामबंदी के आधार पर, विभिन्न महासंघों का गठन किया जा सकता है और ऐसे महासंघों को एआईकेएस से संबद्धता की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार महासंघ सदस्यता शुल्क से अलग एआईकेएस के लिए भी संबद्धता शुल्क जमा कर सकते हैं।

5. फसलवार लामबंदी – क– सभी राज्य इकाइयों को फसल वार विशिष्ट मुद्दों के आधार पर किसान महासंघों को विकसित करने और गरीब और मध्यम स्तर के किसानों द्वारा खेती की जाने वाली ऐसी फसलों को प्राथमिकता देने के लिए विशेष जोर देना होगा। गन्ना, रबड़, कॉफी और जूट को कवर करने वाली मौजूदा उप समितियां अपने अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर सकती हैं और अखिल भारतीय महासंघों का गठन कर सकती हैं। ख– कॉफी ग्रोवर का क्षेत्रीय सम्मेलन– केरल और कर्नाटक की राज्य समिति 30 अगस्त 2019 से पहले कॉफी उत्पादकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की सुविधा दे सकती है। ग– गन्ना किसान सम्मेलन– गन्ना किसानों का अगला सम्मेलन 2019 के अन्त तक आयोजित किया जा सकता है । उचित परामर्श के बाद तिथि और स्थान का निर्धारण किया जा सकता है।

6. श्रमिक–किसान सामाजिक सहकारिता – राज्य इकाइयों से अनुरोध है कि वे किसान और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा और विस्तार करने के लिए सहकारी हस्तक्षेप की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करें।

7. एक करोड़ रुपया का किसान संघर्ष निधि, 2019– किसान संघर्ष निधि 2019 के लिए सभी राज्य इकाइयां नवंबर/दिसंबर 2019 में गांव और आस–पास के बाजार में दो दिन के सामूहिक संग्रह के लिए प्राथमिक इकाइयों को सक्रिय करने की तैयारी कर सकती हैं। तिथि संबंधित राज्य इकाइयों द्वारा तय की जा सकती है। संग्रह के भाग के रूप में चल रहे किसान संघर्ष के संदेश का विवरण देने वाली एक पुस्तिका वितरित की जा सकती है। एकत्र किए गए धन का

50 प्रतिशत 10 जनवरी 2020 से पहले सभी राज्य संगठनों द्वारा एआईकेएस के खाते में जमा किया जा सकता है।

8. संयुक्त आंदोलन–एफआरए की उपेक्षा करके आदिवासी परिवारों के निष्कासन के खिलाफ– एआईकेएस सभी आदिवासी किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को 22 जुलाई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के आदिवासी और अन्य वनवासी परिवारों को बेदखल फैसले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जुटाएगा। 28 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय रैली के लिए सभी राज्य इकाइयों को आदिचासी जनता को जुटाना है। कोटा बाद में तय किया जाएगा।

9. जेईजेएए, बीएए, एआईकेएससीसी पर, संबंधित प्लेटफॉर्म की बैठकें जल्द से जल्द बुलाई जा सकती हैं और ज्वलंत मुद्दों के आधार पर चल रहे संघर्षों को तेज करने का संकल्प ले सकती हैं।

10. टीयूआई (कृषि) का दक्षिण एशियाई सम्मेलन –ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ने भारत में दक्षिण एशियाई सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। हम इसे अप्रैल 2020 में केरल में आयोजित कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई किसानों के गठबंधन ने भी भारत में अपने सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। परामर्श के बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

iLrko

lw[kk dh fLFkfr ij iLrko

भारत के बड़े हिस्से सूखे की गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। भारत ने पिछले 65 वर्षों में पूर्व मानसून सीजन का दूसरा सबसे बड़ा सूखा देखा है। 10 जून, 2019 तक भारत के 44 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र सूखे की स्थिति (असाधारण रूप से सूखे से प्रबल सूखे) में थे। यह अनुमान लगाया गया है कि देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी या 500 मिलियन लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विशेष रूप से, 17.33 प्रतिशत क्षेत्र में 'गंभीर से असामान्य सूखा की स्थितियां' हैं और 5.87 प्रतिशत क्षेत्र में प्रबल सूखा की स्थितियां हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की हालिया बुलेटिन के अनुसार कम वर्षा के कारण भारत के 91 जलाशयों में से कम से कम 71 में जल स्तर में गिरावट आई है। बांधों में जल संग्रहण एक महत्वपूर्ण स्तर तक गिर गया है और केंद्र ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को सूखा से संबंधित सलाह जारी की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने अपने कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। पशुओं के लिए पीने के पानी और चारे की गंभीर कमी ने अत्यधिक संकट पैदा कर दिया है और फसल की खेती पर भारी असर पड़ा है। लेकिन, केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है।

किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में भाजपा के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार राज्यों को राहत देने में आगे नहीं आ रही है। यह नए मापदंडों की

शुरुआत करके सूखा राहत से हाथ धो रही है। 2016 का नया सूखा प्रबंधन मैनुअल कहता है कि राज्य केंद्र की मदद की तभी मांग सकते हैं जब सूखा ''गंभीर'' हो। लेकिन, सूखा को ''गंभीर'' बनाने वाले पैरामीटर बेहद कड़े हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए हैं कि केंद्र की कोई देनदारियां नहीं हों। नई परिभाषा ने अब तक उपयोग किए गए सूखे की गणना के मापदंडों को बदल दिया है। इससे पहले अगर बारिश में कमी होती थी और 10 साल के औसत से फसल की पैदावार 50 फीसदी से कम थी, तो उसे सूखा साल माना जाता है। इसे उलट किया गया है और वर्षा, कृषि, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और रिमोट–सेंसिंग (फसलों के स्वास्थ्य) जैसे विभिन्न संकेतकों पर विचार किया जाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत सहायता के लिए ज्ञापन केवल तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब आपदा इस मानदंड के अनुसार गंभीर प्रकृति की हो।

ऐसी स्थिति में भी किसानों को उचित फसल बीमा नहीं दिया जा रहा है। आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार भाजपा सरकार के बहुत सारे प्रचारित फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे कि प्रधानमन्त्री फसल बिमा योजाना अत्यधिक सूखे के समय में बुरी तरह विफल रहे हैं जिससे किसानों का संकट बढ़ा है। केवल 2018 खरीफ सीजन के लिए लगभग 1,3,000 करोड़ रुपये को बीमा कंपनियों द्वारा हथिया लिया गया था। 12,867 करोड़ रुपये के अनुमानित दावों का लगभग 40 प्रतिशत जो फरवरी तक भुगतान किया जाना था, 10 मई, 2019 तक भुगतान नहीं हुआ। सूखे की स्थिति में ऐसी उदासीनता आपराधिक है।

हैदराबाद में एआईसीसी की बैठक में मांग की गई कि असाधारण सूखे की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और युद्धस्तर पर राहत के उपाय किए जाने चाहिए। सूखा प्रबंधन मैनुअल अन्यायपूर्ण है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को फसल ऋणों के पुनर्भुगतान पर स्थगन की घोषणा करनी चाहिए, कम से कम 200 दिनों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने, राज्यों को खाद्य सुरक्षा चिंताओं और कुपोषण को दूर करने में सहायता करने, राज्यों को पेयजल और चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने, अगले सीजन के लिए ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी वाले इनपुट प्रदान करने और 3 महीने

के लिए मुफ्त राशन प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। फसल के नुकसान का सही आकलन किया जाना चाहिए और खेती और उपज की वर्तमान लागत के अनुसार किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में आपदाओं के लिए मुआवजा दर बहुत कम है और इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। वास्तविक काश्तकारों को ऐसे उपायों से लाभ उठाना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के वितरण में देरी नहीं होनी चाहिए। पानी के कारोबारियों पर नकेल कसना सुनिश्चित करना चाहिए जो लोगों को लूट रहे हैं। एआईकेएस राहत गतिविधियों का संचालन करेगा और फसलों के नुकसान के लिए राहत और मुआवजे का वितरण सुनिश्चित करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी करेगा।

vle rFkk vU; jkT;ksa esa ck< dh fLFkfr ij iLrko

हैदराबाद में होने वाली अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय कौसिल (एआईकेएस) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक असम एवं अन्य राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करती है।

बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि हर दिन नए क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा है कि राज्य के 25 जिले पानी के अंदर हैं। पिछले 24 घंटों में धेमाजी में बाढ़ से जुड़ी एक घटना में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या सात हो गई।

एएसडीएमए के अनुसार, असम के 33 जिलों में से 25 में जलप्रलय से कुल 14,05,711 लोग प्रभावित हुए हैं। एएसडीएमए के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, ''जिला प्रशासन द्वारा खोले गए 234 राहत शिविरों में 20,000 से अधिक लोग रह रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि 51,722 हेक्टेयर कृषि भूमि भी अब तक जलमग्न हो चुकी है, जिससे किसानों पर बुरा असर पड़ रहा है।

एआईकेएस की मांग है कि केंद्र सरकार असम, बिहार एवं अन्य राज्यों में बाढ़ राहत के लिए तुरंत पर्याप्त धनराशि जारी करे और राज्य सरकार को बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों को आगे बढ़ाना चाहिए। एआईकेएस यह भी मांग करता है कि सरकार द्वारा उन सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए जिनके घर, खेत और अन्य संपत्ति बाढ़ से नष्ट

हो गई हैं।

असम एवं उत्तर–पूर्व के अनेक राज्यों में पिछले कई दशकों से बाढ़ एक पुरानी विशेषता रही है। किसी भी सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वर्तमान भाजपा सरकार इस संबंध में सबसे खराब है। एआईकेएस बाढ़ को नियंत्रित करने और उनसे जुड़े बड़े पैमाने पर भूमि कटाव को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की स्थापना की मांग करता है।

एफआरए को कमजोर करने और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के संशोधन को पारित करने के माध्यम से आदिवासी और टीएफडीज के प्राकृतिक अधिकारों को और अधिक विफल करने के लिए क्रूर कदम के खिलाफ प्रस्ताव।

भारतीय वन अधिनियम 1927 औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र भारत को विरासत में मिला है। अधिनियम की अवधारणा पूरी तरह से लोगों के विरोधी है, विशेष रूप से आदिवासियों और पारंपरिक वन निवासियों (टीएफडी) के हित के खिलाफ है, जिनके जीवन और आजीविका जंगल और प्रकृति उन्मुख हैं। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से यूरोप में अपने कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए अधिनियम की कल्पना की थी। आदिवासी और टीएफडी के उस प्राकृतिक अधिकार को हर सूरत में नकार दिया गया और हमेशा उनके खिलाफ दमन का औजार बना रहा।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की इस विडंबना के मद्देनजर, वन अधिकार अधिनियम, 2006 को वाम दलों के भारी दबाव में संप्रग –1 के शासन के दौरान लागू किया गया था। अधिनियम ने आदिवासी और टीएफडी के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करने के प्रावधान व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार के रूप में जंगलों पर अधिकार प्रदान करने के तरीके से किए हैं।

लेकिन शुरुआत से ही, एफआरए को लगातार नकारात्मक लहर का सामना करना पड़ रहा है, जैसे खुद सरकार के भीतर (एमओईएफ के नौकरशाह), अनेक गैर–सरकारी संगठनों, जिनमें तथाकथित वन्यजीव संरक्षणवादी और पर्यावरणविद शामिल हैं, जो बड़े जमींदारों और कॉरपोरेट लॉबी के साथ हैं। वे उस ऐतिहासिक विधान का सख्त का विरोध करते रहे

हैं। उस अजीब स्थिति के प्रति आश्वस्त होने के कारण संसद ने बहुत सचेत रूप से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अपना नोडल मंत्रालय बनाया है।

एमओईएफ से नकारात्मक रुख का सामना करना और बुर्जुआ दलों के नेतृत्ववाली अधिकांश राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, एफआरए के क्रियान्वयन के मामले में वाम नेतृत्व वाले राज्यों को छोड़कर कोई ज्यादा बढ़त नहीं बना सका। इस अधिनियम के लागू होने के 13 साल बाद भी लाखों आदिवासी और टीएफडी परिवार इस ऐतिहासिक कानून से अनजान रहे। मोदी –1 सरकार के दौरान कार्यान्वयन पूरी तरह से ठप रहा।

31.03.2019 तक प्राप्त दावों के राज्यवार विवरण, वितरित किए गए अधिकार पत्र और वितरित की जाने वाली वन भूमि की सीमा जिसके अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, का विवरण।

ikIr nkok dh l[;k	dqy	forfjr fd, x, vf/kdkj i=	dqy
व्यक्तिगत 40,89,035; सामुदायिक 1,48,818	42,37,853	व्यक्तिगत 18,87,894; सामुदायिक 76,154	19,64,048

मोदी –1 सरकार ने वन भूमि को वनरोपण के नाम पर जहां अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं फिर से अतिक्रमण करने के लिए अधिनियम की सीमा को समाप्त करने के लिए सीएएमपीए अधिनियम में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी, 2019 को पूर्व वन अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और जमींदारों की याचिका पर सभी परिवारों को अतिक्रमणकारी करार देते हुए एक आदेश दिया है, जिनके दावों का निपटारा किया जाना बाकी है और राज्य सरकारों को उन्हें बलपूर्वक हटाने का निर्देश दिया गया है। अब, यदि आदेश लागू किया जाता है तो 1 करोड़ आदिवासियों और टीएफडीज को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल दिया जाएगा। भारी हंगामे के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल 'आदेश को रोक' रखा है, जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

इस बहुत ही विनाशकारी स्थिति के बीच, एफआरए के दायरे को और अधिक अतिक्रमण करने के लिए मोदी –1 सरकार ने लोक सभा में "भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया है। इस विधेयक में भारतीय वन

अधिनियम, 1927 में संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं:

i) पूरे जंगल पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में शक्तियों का पूरा केंद्रीकरण।

ii) ग्राम सभा और ग्राम समिति की शक्तियों को उनसे वापस लिया जाएगा और वन नौकरशाही के हाथों में दिया जाएगा।

iii) जंगलों का व्यावसायीकरण। वन के कितने भी इलाके को उत्पादक वन घोषित किया जा सकता है और कॉर्पोरेट और व्यक्तियों के साथ संयुक्त उद्यम निष्पादित किया जाएगा।

iv) कड़ा आपराधिक कानून लागू करना और उन अपराधिक धाराओं को लागू करना जिनके द्वारा वन नौकरशाहों को अग्नि शस्त्रों का उपयोग करने का अधिकार होगा। अपराध के सबूत के बिना गिरफ्तारी और बिना वारंट गिरफ्तारी।

v) सबूत का बोझ आदिवासियों और वनवासियों पर पड़ता है। सत्र न्यायालय का निर्णय अंतिम है। कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

vi) समुदाय की परिभाषा को इस तरह से कमजोर किया गया है, जिससे एफआरए के तहत दिया गया सामुदायिक वन अधिकार समाप्त हो जाएगा, आदि।

13–14 जुलाई, 2019 को हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय किसान परिषद ने मोदी सरकार के इस अलोकतांत्रिक, आदिवासी– विरोधी और जन–विरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया। यह कदम एफआरए को पिछले दरवाजे से और एक भयावह साजिश के तहत कमजोर करने के लिए है ताकि कॉर्पोरेट और वन माफियाओं द्वारा जंगलों और खनिजों की लूट को सुनिश्चित किया जा सके। एआइकेसी सभी देशभक्त भारतीयों से, अर्थात जन, वर्ग और सामाजिक संगठनों से अपील करती है कि वे हमारे वनों, खनिजों और आदिवासी और टीएफडीज के अधिकारों को बचाने के लिए हर तरह से इस कठोर कदम का विरोध करें।

Je dkuu l/kkj ij iLrko

किसानों को दास बनाकर रखने के लिए कॉर्पोरेट की कोशिश को

किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।

'बिजनस 'को आसान बनाने' के नाम पर 'मजदूरों को लूटने की आसानी'

हैदराबाद में ऑल इंडिया किसान काउंसिल की बैठक में घरेलू और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा बढ़ते शोषण की सुविधा के लिए देश के श्रमिकों को गुलाम बनाने के लिए मौजूदा श्रम कानूनों को बदलने के मोदी सरकार के फैसले का जोरदार विरोध किया गया। 10 जुलाई 2019 को, केंद्रीय श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति बिल 2019 को 'बिजनेस का आसान बनाने' के नाम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एआईकेसी मोदी सरकार के इस कदम की निंदा करती है जो 'नियोक्ता द्वारा श्रमिकों की लूट में आसानी' का कदम है।

मोदी सरकार द्वारा पूंजीपतियों को काम के घंटे 14 घंटे तक बढ़ाने की अनुमति देना अमानवीय और नग्न शोषण है। यह आरएसएस–भाजपा गठबंधन के मजदूर विरोधी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। यदि प्रस्तावित विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो अब श्रम कानून के संरक्षण में जो श्रमिक हैं उनमें से 70 प्रतिशत श्रमिकों को बाहर रखा जाएगा और वे नियोक्ताओं की दया पर होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने निम्न स्तर न्यूनतम मजदूरी को रु.178/–प्रतिदिन (रु. 4,628/– प्रति माह) मंजूर किया है, जो कई राज्यों में उपलब्ध न्यूनतम मजदूरी से कम है और अपमानजनक है। यह सभी रूढ़िवादी राज्य सरकारों और नियोक्ताओं को उकसाएगा और इसे कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी को और अधिक दबाने के लिए प्रेरित करेगा। सभी ट्रेड यूनियन न्यूनतम मजदूरी के रूप में 18000 रु. प्रति महीना (रु. 692.3/– प्रति दिन) घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, मजदूरी संहिता न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के फार्मूले पर पूरी तरह से चुप है, जिसके लिए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की थी और साथ ही सवोच्च न्यायालय ने राप्टाकोस और ब्रेट केस में अपना फैसला दिया था और जिसे 44वें और 45वें भारतीय श्रम सम्मेलनों ने बार बार दुहराया था।

औद्योगिक संबंध संहिता के प्रावधानों के अनुसार, 300 कर्मचारियों को

नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में नियोक्ता अपनी इच्छा से उन्हें छटनी कर सकते हैं, उन्हें सरकार से औपचारिक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 'हायर और फायर' कर सकते हैं। संहिता ट्रेड यूनियनों का गठन करने और उनकी वास्तविक मांगों पर संघर्ष और हड़ताल पर जाने को लगभग असंभव बनाती है। हड़ताल में शामिल होने और आयोजन करने के लिए भारी जुर्माने के साथ–साथ हड़ताल के अधिकार पर एक वास्तविक प्रतिबंध लगाया गया है। विधेयक नियोक्ताओं को एकतरफा रूप से श्रमिकों की सेवा शर्तों को बदलने का अधिकार देता है; श्रमिकों का विरोध करने या उनका विवाद करने का अधिकार बुरी तरह से बंद कर दिया गया है। संक्षेप में, यह मजदूर संघ के अधिकारों से वस्तुतः दूर होकर श्रमिकों को गुलाम बनाना चाहता है। यहां तक कि श्रमिकों के संघर्ष का समर्थन करने वाले लोगों को भारी जुर्माना और कारावास की सजा दी जाएगी। इसी समय, नियोक्ताओं को उनकी ओर से किसी भी उल्लंघन के लिए कोई सजा नहीं या बहुत हल्की सजा दी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पर प्रस्तावित कोड अत्यधिक भ्रामक और धोखाधड़ी है और श्रमिकों के लिए एक भी विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा उपाय का प्रस्ताव नहीं करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि ईपीएफओ, ईएसआई, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस इत्यादि के साथ सभी निधियों का विलय कर दिया जाएगा और एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के नियंत्रण में लाया जाएगा जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित किया जाएगा। यह विशाल धन शेयर बाजार को उपलब्ध कराया जाएगा।

जाहिर है, सरकार बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों, घरेलू और विदेशी दोनों की मदद करने में दिलचस्पी रखती है, जिससे उनके कारोबार करने में आसानी होती है। कॉरपोरेट्स, नियोक्ता वर्ग का आरोप है कि भारत में श्रम कानून 'प्रतिबंधात्मक' 'हैं, और वे मांग करते हैं कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जरूरतों के मुताबिक, बंद या खुले कारखानों के कर्मचारियों को 'हायर और फायर' करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वे संघ मुक्त कार्यस्थलों की मांग करते हैं ताकि वे संगठित प्रतिरोध के बिना श्रमिकों का स्वतंत्र रूप से शोषण कर सकें, अपने लाभ में वृद्धि कर सकें और अपने धन को एकत्र कर सकें।

वास्तविकता यह है कि हमारे देश में 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यहां तक कि संगठित क्षेत्र में, अब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में 50 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनुबंध श्रमिकों से बने हैं, जबकि निजी इकाइयों में उनकी हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। उन्हें श्रम कानूनों के दायरे से परे माना जाता है। श्रम कानूनों द्वारा कानूनी रूप से कवर किए गए श्रमिकों के छोटे अनुपात का भारी बहुमत खराब या गैर कार्यान्वयन के कारण लाभ नहीं ले पाता है।

मोदी सरकार ने अपरेंटिस अधिनियम में संशोधन किया था, ताकि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभ के भुगतान के बिना एक साथ वर्षों के लिए काम करने के लिए प्रशिक्षुओं को बनाया जा सके। अनुबंध, आकस्मिक और दैनिक दर श्रमिकों को शामिल करने के लिए इस संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम में 'श्रमिकों' 'की परिभाषा को बदल दिया गया है। अब नियोक्ता ऐसे 'श्रमिकों' के कुल के 30: को प्रशिक्षुओं के रूप में तैनात कर सकते हैं; उन्हें नाममात्र राशि का भुगतान कर सकते हैं और अपना लाभ बढ़ा सकते हैं।

प्रशिक्षु अधिनियम के संशोधन के बाद, सरकार ने 'राष्ट्रीय रोजगार क्षमता संवर्धन मिशन' (एनईईएम) शुरू किया था, जिसे अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों/ प्रशिक्षुओं के शामिल होने से नियमित श्रमिकों को बदलने के लिए धीरे–धीरे मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाया गया था। एनईईएम विनियमन 2017 किसी भी वैधानिक लाभ या वेतन वृद्धि के बिना समेकित राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी के साथ 'प्रशिक्षण' की 3 वर्ष की अवधि प्रदान करता है।

फैक्ट्रीज (संशोधन) विधेयक में फैक्ट्रीज अधिनियम की कवरेज से बाहर किए जाने के लिए उन कारखानों की परिकल्पना की गई है जिनमें 40 से कम श्रमिक (पावर के बिना काम करना) और 20 से कम श्रमिक (पावर के साथ) काम करते हैं। इसका मतलब है कि देश के 70 फीसदी फैक्ट्री मजदूरों को फैक्ट्रीज एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इन श्रमिकों के लिए काम के घंटे, ओवरटाइम मजदूरी, ओवरटाइम घंटे, कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि पर कोई नियमन नहीं होगा; वे नियोक्ताओं की दया पर होंगे।

कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट 1970 में संशोधन का

उद्देश्य स्थायी बारहमासी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तैनाती को वैध बनाना है जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से लंबे समय से चल रहा है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा आउटसोर्स की गई नौकरियों के लिए एक ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों को अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके बाद वे अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह सभी नियामक निरीक्षणों से मुक्त कर दिया जाएगा। वास्तव में, यदि ये संशोधन पारित हो जाते हैं, तो अनुबंध कार्य पूरी तरह से नियमित रोजगार की जगह ले लेंगे।

इसके बाद, चरणबद्ध तरीके से कार्यस्थलों से नियमित रोजगार की अवधारणा को ही दूर करने के लिए, सरकार ने औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के तहत केंद्रीय नियमों में संशोधन किया था। इसने सभी प्रतिष्ठानों में ''निश्चित अवधि के रोजगार'' की अनुमति दी है। निश्चित अवधि के लिए नियोजित श्रमिकों को नोटिस या मुआवजे के बिना कार्यकाल की समाप्ति के बाद बाहर निकाला जा सकता है। पहले से ही कई सार्वजनिक उपक्रमों में, श्रमिकों को इस प्रावधान के माध्यम से नियोजित किया जा रहा है। अब यह घटना हर जगह व्यापक होने जा रही है, यहां तक कि नियमित श्रमिकों की स्थितियों को भी बेहद कमजोर बना रही है।

श्रम कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव की पृष्ठभूमि में, जो सभी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर बहुमत कार्यबल को धक्का देते हैं, सरकार के इन कदमों को जैसे प्रशिक्षु अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम में संशोधन करना और निश्चित अवधि के रोजगार लागू करना भारत के श्रमिकों के कठिनाई से जीते अधिकारों को नष्ट करने के साथ साथ भाजपा सरकार के व्यापक डिजाइन के रूप में समझा जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहती है। यह कॉर्पोरेटों के लिए ''व्यवसाय करने में आसानी'' सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक डिजाइन है, जिनके लिए वर्तमान सरकार पूरी तरह बंधी हुई में है। इस संदर्भ में, श्रमिकों को अपने वास्तविक दुश्मनों की पहचान करनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्र के दुश्मन भी हैं।

दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता हासिल करने के बाद, यह स्पष्ट है कि

मोदी सरकार के लिए यह वापस भुगतान का समय है – उन कॉर्पोरेट कंपनियों को वापस भुगतान करने का, जो विदेशी और घरेलू दोनों हैं, जिन्होंने चुनावों के दौरान आरएसएस–बीजेपी को बड़े धन के साथ गठबंधन करने में मदद की है और समर्थन जारी रखा है– अपने खुद के मीडिया के माध्यम से भी।

पूंजीवादी वर्ग श्रम कानूनों को कमजोर करने के लिए सरकारों पर दबाव डालता रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों को संगठित होने से रोकने के लिए ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण को और अधिक कठिन बनाने के लिए कानूनों में बदलाव को मजबूर किया था। लेकिन श्रमिकों ने देशव्यापी हड़तालों सहित बड़े पैमाने पर संघर्ष किया और इनमें से कई प्रयासों को शिकस्त दी जा सकी। अब, भाजपा के नेतृत्ववाली भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों में श्रम कानूनों में संशोधन करके भाजपा की अगुवाई वाली पूर्व राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार काम करें।

सभी वैधानिक लाभ जो आज श्रमिकों के पास हैं – आठ घंटे काम करने का दिन, न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक, मातृत्व लाभ, बोनस, भविष्य निधि और ईएसआई सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ, ट्रेड यूनियनों के गठन का अधिकार आदि – कठिन संघर्षों के बाद हासिल किए गए हैं और किसानों और जनता के समर्थन से श्रमिक वर्ग द्वारा उनके लिए भारी बलिदान दिए गए हैं। वे नियोक्ताओं या किसी भी सरकार द्वारा परोपकार या दान में नहीं दिए गए हैं।

एआईकेसी ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि ऐसी श्रमिक विरोधी नीतियों को और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; किसान मजदूर वर्ग के श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिकों के साथ हाथ मिलाएगा और इस संबंध में ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भविष्य की सभी विरोध कावाइयों में शामिल होगा। एआईकेसी ने दोहराया कि श्रमिक वर्ग और किसान का गठजोड़ श्रम पर होने वाले कारपोरेट हमले का मुकाबला करेगा और मोदी सरकार के इस मजदूर विरोधी कदम के खिलाफ जनता की राय बनाने के लिए देश भर में 5 सितंबर 2019 को ग्रामीण स्तर पर जनसभाएं आयोजित करने का आह्वान करेगा।

vf[ky Hkkjrh; fdlku lHkk
36] jfo 'kdj 'kDyk yku] u;h fnYyh] 110001
Membership for 2016-19 and Struggle Fund 2019-20

SL. No	STATE	Membership 2016-17	Membership 2017-18	Membership 2018-19	Struggle Fund Quota 2019-20
1	Andaman Nicobar	1240	1020	1025	5000/
2	AndhraPradesh				
	Rythu Sangham	170657	130007	1,02,007	1,50,000/
	Tenant Farmers				
	Association	46000	25000	--	--
3	Assam	152557	1,45,005	1,38,480	1,00,000/
4	Bihar	294417	2,60,261	1,15,000	1,50,000
5	Chhattisgarh	6519	5233	4,895	10,000/
6	Gujarat	14146	19000	24483	5,000/
7	Haryana	136926	1,22,100	46600	1,50,000/
8	Himachal Pradesh	43048	35572	30720	50,000/
9	Jammu & Kashmir	13000	33000		25,000/
10	Jharkhand	70327	70,137	70399	50,000/
11	Kerala	4980386	4900000	50,32,250	15,00,000/
12	Karnataka	263329	162034	2,33,000	2,00,000/
13	Maharashtra	240107	201320	2,28,249	2,00,000/
14	Madhya Pradesh	55693	45,365	16740	50,000
15	Manipur	2260	1316	1530	5,000/
16	Odisha	44037	43,400	33,500	50,000/
17	Punjab	116890	110000	1,12,660	1,50,000/
18	Rajasthan	261644	317119	173317	2,00,000/
19	Telangana	225000	242532	245615	2,00,000/
20	Tamilnadu	726783	7,33,064	7,17,192	5,00,000/
21	Tripura KS	390310	394338	1,25,569	2.50,000/
	GMP	233900	211190	40,000	
22	Uttar Pradesh	256743	300722	2,50,693	2,00,000/
23	Uttarakhand	22555	20187	21735	25,000/
24	West Bengal	5688845	5317317	4347482	10,00,000/
25	AIKS Centre	09	13	10	
TOTAL		14457328	1,38,46,252	1,21,13,151	52,25,000/